clarifications on steel. And the price rise. (*Interruptions*). It is not listed today. We will take it up.

श्री राम ग्रवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैंने पिछले दिनों इस सदन में सवाल उठाया था ग्रीर ग्रापके ग्रादेश के अनुसार मैंने सूचना भी देदी थी लिखित तौर पर कि दिल्लों के उपराज्यपाल ने मझको यह कहा कि स्थानीय एम.पी. के हम सुनेंगे, बाहर के एम.पी. की नहीं सुनेंगे। महोदया, यह पूरे सदन का अपमान है। श्चगर किसी मेम्बर का अपमान है तो जितना भ्रपमान सभापति जं। का है उतना ही अपमान किसी मेम्बर का है और एक मेम्बर का अपमान है तो यह सारे मेम्बर्स का ग्रपनान है। इसलिए महोदया, मैं चाहता हं कि इसको प्रिविलेज कमेटी में सीधे भेज दिया जाए। ऋग्यके सचिवालय से मैं जानता हं जो नोटिस जासी है तो वे ग्रफसर कह देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। सीधे जवाबदेही से मुकर जाते हैं लेकिन उनको प्रिविलेज कमेटी में ब्लाया जाए ग्रौर बहांउनसे पू**छा जाए** कि... (व्यवधान) आप तो सूनती नहीं है।

उपसभापति : राम अवक्षेण जी. ये लोग कुछ बात कर रहे हैं । मैं आपकः बात दूबरे कान से सुन रही हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में आपने कहा । आपका पिटी सन चेथरमैन साहब के पास है और उसके उत्पर जरूर कुछ न कुछ चेथरमैन साहब निर्णय लेंगे, मैं इनना आण्वासन आप जो दती हूं । अभी यह मटर ऐसा नहीं है कि हम हाउस में कुछ करें । आप जरा जेरो बात को ध्यान से सिन्ध ।

SHRI KAMAL MORARKA: Refer it to the Privileges Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would request the Chairman to admit it to the Privileges Committee.

श्री राम अवधेश तिहः सभापति का अपमान हुआ तो एक आदमी को आज बुलाकर रिप्रीमैंड किया और एक सदस्य की अपमान हुआ तो आप कहती हैं कि सभापति जी कर लेंगे। मह सदन सुप्रीम है और सदन के सदस्य का मामला है तो श्राप कहती है कि सभापति जी कर लेंगे।

sixth Amendment) Bill. 1990

उपसमापित : ये बता रहे हैं कि लेफिटनेंट गवर्नर की चिट्टी आई है। अभी आ जाती है। मैं आफ्को पढ़कर सुना दूंगी...(क्यचंडान) मुझे पढ़ने तो दीजिए कि क्या लिखा है, मुझे यह भी नहीं मालूम है कि क्या लिखा है।

श्री राम श्रवधेश तिह : श्रक्सर लोग ऐसे ही गलत बयानी करते हैं और मुकर जाते हैं। इसलिए प्रिविलेज कमेटी में मामले को भेजा जाए।

SHRI P. UPENDRA: Madam, there was a small omission in your announcement. You said that after the voting at 2.30 p.m. on the Constitution Amendment Bill, we will take up further discussion on price rise and all that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, Half-an-Hour discussion.

SHRI P. UPENDRA; No, Madam. There are two other Bills—the President's Emoluments Bill and Salaries and Allowances of Officers of Parliament Bill. These are small Bills and it can be taken up after those Bills are passed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will pass the Bills without discussion.

THE CONSTITUTION (SIXTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 1990

ृषि मंद्रालय में शामी अ विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): महोदय, मैं झापकी अनुमति से से प्रस्ताव करता हूं कि "भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

भी राज अबबेश सिंह (जिहार) : आखिर आप बीच में लाइटली लेंगी तो कैसे चलेगा। रही हं। चिट्टी ग्रा जाए तो मैं पढ़कर इस बात का ध्यान रखगे कि न सिर्फ बता दुंगी। श्रापका जो दुःख है उस दुःख इस हाउस बल्कि इस हाउस के हर एक के निवारण के लिए जो भी करना पड़ेगा मेम्बर की इज्जत का ख्याल रखा जाए वह कर देंगे। ग्राप बैठिए।

श्री राम भ्रवधेश सिंह: ग्राप गम्भीरता कहिए। बैठिए। से नहीं लेती हैं। चेयर का श्रपमान हुआ। (व्यवधान)

कि वे लोग माफी मांगें।

श्री राम भ्रवधेश सिंह : प्रिविलेज कमेटी में ...

में दे देंगे, ग्राप बैठिए।

श्रीरामग्रवधेश सिंह: श्रापका जो सचिवालय है इनके मामले में मेरा अनुभव बहुत * है।

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, you will have to expunge those words.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I expunge those words.

कई हमारे तरीके हैं। ग्रापने जो प्रिविलेज का मोशन दिया है उसके बारे में चेयरमैन साहब ने चिट्टी लिखकर भेजी है जिन लोगों के बारे में ग्रापने कहा था। बगैर उनसे सफाई मांगे हुए कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ग्रब उनकी चिद्री श्राई है। ब्राप जरा सुकृत से सुनें। चिट्ठी ब्राई है, चिट्टी को देखकर मुझे यकीत है कि चेयर-मैन साहब जरूर ब्रापके इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सुपूर्व करेंगे। में स्वयं

उपसभापति : मैं लाइटली नहीं ले उसकी चेयरमैन हूं। जो मेम्बर हैं वे श्रीर हाउस की गरिमा पर कोई अंच न आए। आप हमारे सेकेटेरिएट पर कुछ न

SHRI H. HANUMANTHAPPA तो सारा सदन एक हो गया और किसी (Karnataka): Madam, I want to bring to your मेम्बर के बारे में ऐसा सवाल उठे तो... notice an important thing. This is just agitating my mind in the last two, three days when it was raised and somehow it has not come out. This is about the accounts of the उपतश्चापित: राम श्रवधेश जी कृपया son of the Prime Minister. If I am wrong, बैठ जाइये। जो ग्रापका श्रपमान हुआ है clarification should come. One should be उसके लिए जरूर कुछ तरीका निकालेंगे above board, and one should not live in suspicion. If any suspicion arises from a statement, it should be clarified. {Interruptions}

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not permitting anybody. I do not even know what you are saying. I will not give my उपसमापित : ग्रन्छा, प्रिविलेज कमेटी verdict till I hear what you are saying . But what is it relating to?

> SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am only saying that there are certain reports about the accounts of the son of the Prime Minister. Let them be clarified. If there are no accounts, let them say so. About one account, they agree. But the reports are that there are a number of accounts. Let there be a clarification. Let us not live in illusion, on false illusion, on suspicion. If there are accounts, let there be a letter rogatory sent, and if there are no accounts, let the will Government come and say that there are no

दिन रात सेन्नेटेरिएट काम करता है। accounts and that this is the information that they have. I want this clarification from the Prime Minister, from the Government, whether the information that we got from the Press is right or wrong. If it is wrong, okay. If it is right, what action is the Government going to take? Why should the people and even Members of Parliament be under false illusion, false reports. Let there be a clarification from the Government. That is all my request, Madam, through you.

^{*}Expunged as ordered by the Chair

डा. रत्नाकर पाण्डेंब (उत्तर प्रदेश) बीच में दूसरे सदस्य बोलने के लिए महोदया,...

> एक माननीय सबस्य : क्या यह रिकार्ड पर ग्रा गया है?

उपसभापति : भ्रभी मंत्री जी बोल रहे हैं उपसभापति : हां. रिकार्ड पर श्राया है। I am not allowing anybody Please sit down. I have already called his name. He has moved the Let the Mantriji speak. motion. Two, three Members spoke in between.

श्री उपे द्व नाथ वर्मा : महोदया, यह विधेयक जिस पर विचार करने का अनुरोध किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रौर झाप सब माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जो जमीन का मामला है, वह बहुत ही पेचीदा होता रहा है श्रौर जैसे-जैसे समस्या उलझती गई है, वैसे-वैसे कानून भी बनते रहे हैं श्रौर यदि उन कानूनों के बनने के बाद भी... (ध्यवधान)

श्री एन.के.पी. सात्वे (महाराष्ट्र): मोक्षन मुव नहीं किया है।

उपसभापति: ग्रापने मुव किया है।

श्री उपेड नाथ वर्माः जी, हां, कर दिया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. He has moved the motion. He is starting his speech now.

श्री जिल्हें नाथ वर्माः जहां कहीं कोई गड़बड़ी हुई, तो उन्हें नौदीं सूची में शामिल किया गया है।

उपसभापति: ऐसा हुम्रा था कि यह मोशन मूव कर चुके थे, वहाँ से। इस श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: महोदया, जब भूमि सुधार संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन में झगड़ा बढ़ता है, तो उस झगड़े के चलते उस कानून का सही ढ़ंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत से कानून सामने चले श्राते हैं जब लोग फंडेमेंटल राइट्स के सवाल पर, मौलिक श्रधिकार की आ, में हाई कोर्ट में चले जाते हैं श्रीर बेचारा जोगरीब है, वह चाहे बटाई-दार हो, चाहे छोटा किसान हो, जब वह भूमि सुधार संबंभी कानून द्वारा कुछ लाम उठाना चाहता है, तो इस कारण वह नहीं उठा पाता है, क्योंक वह सामला हाई कोर्ट में चला जाता है श्रीर गरीब लड़ते-लड़ती घुटने टेक देता है।

नौवीं सूची में अब तक कई कानून शामिल किये जा चुके हैं। सब मिला कर 202 कानून शामिल किये जा चुके हैं, जिनमें 167 कानून भूमि संबंधी हैं और उनमें से कुछ भूमि सुधार संबंधी भी हैं, जिन पर विचार करने का अनुरोध है, वह 55 ऐसे कानून हैं। जिसमें हम इसे शामिल करना चाहते हैं। इन 55 कानूनों में जो 20 कानून हैं, वह आदिवासियों की अमीन कानून से संबंधित है। यह सब मिला कर टोटल 257 कानून हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जो प्रस्ताव है उनकी संख्या सिर्फ 55 है।

महोदया, यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है-लैंड टूद टिलर्स । महोदया, आप देखेंगी कि यह सवाल शुरू से ही रहा है । आजादी के प्रारंभिक दिनों से ही इस पर दिचार होता रहा है । सबर

Bill 1990

52

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्भ*ी*

हम नागपुर के कांग्रेस सेशन के प्रस्तावा है कि तुम्हारी समस्या का समाधान बैलट को देखें, ग्रावड़ी कांग्रेस सेशन के प्रस्तावों के द्वारा नहीं होगा, तुम्हें बुलेट का सहारा को देखें तो ऐसा लगेगा कि उस समय से लेना पड़ेगा। इन बातों को सामने रखकर को दख ता एसा लग्या कि उन क्षां लगा पड़िया। इन काता का नाम रिया लोगों की यह चिन्ता रही है कि हम भूमि हम इस प्रस्ताव को ग्रापके सामने रख समस्या को किस तरह से हल करें। लेकिन रहे हैं। इसे लोक सभा ने पारित किया ग्राज तक यह सही मायनों में हल नहीं है ग्रीर मैं ग्रापसे भी पूर्ण समर्थन चाहूंगा। हो सकी। म्राज तक यह "लैंड टूद टिलर्स— मैं यही कहूंगा कि जो कुछ करें, पूरी जमीन जोतनेवालों के पास न जा सकी। तबियत से करें, पूरे मन से करें, ग्राधे हम जब भी सुविधा देना चाहते हैं, मन से कोई काम नहीं होना चाहिए, उस सुविधा में कानून के बने रहने पर ग्राधी तबियत से कोई काम नहीं होना भी ग्रड़गेबाजी हो जाती है श्रौर मामला चाहिए। श्रभी तक तो यही होता रहा हाईकोर्ट श्रीर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है कि कुछ कर दिया कागज में, लेकिन है। तो इन् सब ग्रङ्गों, इन सब ग्रङ्गों ग्रमल में नहीं हो सका। श्रमल में लाने हा ता रा पर से निपटने के लिए ये जो 55 भूमि सुधार के लिए, जो मुकदमें बाजी हो रही है, संबंधी कानून हैं जिसमें 20 म्रादिवासियों सारे देश में हजारों, लाखों की संख्या में की जमीन से संबंधित हैं, इन 55 कानूनों जो मुकदमे चल रहे हैं और लंबित हैं, को हम इस में शामिल करना चाहते हैं।

कि हम कोई नई चीज ग्राप के सामने तमाम लोग इस प्रस्ताव को पास करेंगे। ला रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि कोई THE DEPUTY CHAIRMAN: नई बात रख रहे हैं। हम इतना ही कहते There is one amendment by Prof. Chandresh P. Thakur for reference of the Constitution हैं कि भूमि समस्या के समाधान के लिए (Sixty-sixth) Amendment Bill, 1990, to a भीन संबंधी कानूनों में लोगों को सुविधा Select Committee of the Rajya Sabha. The देने के लिए जिससे कि लोगों को लाभ Member may move the amendment at this मिल सके, समय-समय पर कानून बनता stage without any speech. रहा है ब्रौर उसे 9वीं खेड्यूल्ड में शामिल किया जाता रहा है ग्रौर पिछली कई बार यह शामिल किया गया है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो रास्ता बना है, उस रास्ते को थोड़ा श्रीर श्रागे ले जाएँ। जो Constitution of India, be referred to a Select रास्ता है उस को थोड़ा और चौड़ा करें। Committee of the Rajya Sabha consisting of हम प्रशस्त रास्ता चाहते हैं ताकि भूमि report by the last day of the next Session of स्धार कान्न सही मायनों में जमीन पर the Rajya Sabha: उतर सके। सिर्फ कागज पर ही न रह सके। ग्रव तक जो कानून बना है, उस में बहुत दूर तक हमें सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए मेरा श्राप से अनुरोध है कि ग्राप इस काम को ग्रागे बढ़ायें जिस काम को सभी ने किया है चाहे विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्षा के लोग हों सभी ने किया है। सभी से इस काम को आगे बढ़ाने का अनुरोध है। मुझे विश्वास ह कि श्राप सभी लोग इसे काम में हमारा साथ बेंगे ताकि को चीजें समिने बा रही हैं, जो सतरा सामने भी रहा है, जिस प्रकार से गांव प्रशांत ली रहा है, जिस

प्रकार से गांवों में हिसा बढ़ रही है, जिस हम नागपुर के कांग्रेस सेशन के प्रस्तावों के का यह बताया जा रहा उन मुकदमों में निपटने के लिए मेरा यह महोदया, हम यह बात नहीं कहते प्रस्ताव है और मुझे विश्वास है कि ग्राप

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Madam, I move:

"That the Bill further to amend the the following members with instructions to

1.Shri Raj Mohan Gandhi,

2.Shri V. Gopalsamy,

3.Smt. Kamla Sinha,

4.Shri Mahendra Prasad,

5.Dr. B. N. Pande,

6.Shri Dipeh Ghosh,

7.Shri Hansraj Bhardwaj

- 9. Miss Chandrika Premji Kenia,
- 10. Shri Gaj Singh,
- 11. Chowdhary Ram Sewak, and
- 12. Prof. Chandresh P. Thakur."

The questions were proposed

श्री अध्य तिह सोलंकी (गुजरात)ः माननीय उपभापति महोदया, यह जो विधेयक हमारे सामने पेश किया गया यह निहायत ही जरूरी या स्रौर यह विधेयक लाने के लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता है। इसके साथ ही मैं यह भी साफ जाहिर करना चाहता हं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रौर जनता फ्रांट के लोगों ने लॉड रिफार्मस के बारे में ग्राज तक जो जाहिरात की है, जो देश के सामने पिक्चर दी कि सत्ता में ब्राने के बाद लेंड रिफार्मस ्रेन्टरम में ग्रौर उसके इंपली**मेंटेशन से एक बड़ी** लाने वाले हैं श्रीर ऐसे कदम उठाने वाले हैं, जिससे भारत के लाखों-किसानों का मसला हल हो आयेगा, लेकिन औसा ग्रभी मंत्री जी दे बतादा, उससे लगा कि यह दिल तो कोई ऐसा बिल नहीं है, जिससे कुछ होने वाला हो । मैं कहना चाहंगा कि पिछले चालीस साल से इस देश में जी कार्यवाही चल रही है, उसका ही यह एक हिस्साहै ।

उपसभापति महोदया, सन 1951 से, जब से हमारा कंस्टीट्यूशन बना है, तब से भूमिसुधार के सभी कानून नाईन्थ क्षेड्यल्ड में लगाये गये हैं धौर द्याज तक करीब 202 कान्न इसमें शामिल कर ही दिये गये हैं । इसके श्रलाबा जो बाकी रह गये थे, 55 के करीब, उनको भी इसी नाईन्थ शेड्युल्ड में शामिल करने के लिये ग्रापका यह विधेयक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक नाईन्थ श्रेद्धयुल्ड में शामिल करने से कोई मसला हल हो जायेगा? ग्रभी जैसा मंत्री जो ने बताया कि फंडामेंटल राईट के नाम पर यह चेंजेंज नहीं हो सकेगा, लेकिन मन्नी जी, आपको याद होगा कि ग्रार्टिकल 31(बी) के बाद जब केशवानस्द Bill. 1990

का डिसीजन भ्राया, तब से यह साफ हो गया है कि नाईन्य सेडयल्ड में बिल रखने के बाद भी धगर देसिक स्टक्चर ग्राफ कंस्टीट्यशन चेलेंज होता है तो यह बिल भी चेलेंज हो सकता है, इस को ऐसी कोई इम्युनिटी या प्रोटेक्शन नहीं मिला, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि इतना तो प्रोटेशन होना चाहिये कि कोई कोर्ट में जाकर चेलेंज न करे। ग्रसली चीज जो करने की जरूरत है, वह है इस देश में भूमि-सुधार केलिये जो कानुन नाईन्थ शेड्युल्ड में लगाये गये हैं, उनका इंपलीमेंटेशन करना ।

sixth *Amendment*)

िंडपत्रभाध्यक्ष (श्री एम. ए. **बे**बी) पीठासीन हुये]।

उपलक्षाध्यक्ष महोदय, ग्रभी मंत्री जी ने बताया कि पिछले सालों में जो कुछ नहीं हुआ। । मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि इस देश में भूमि सुधार कानुन कांग्रेस गवर्नमेंट लाई है ग्रौर कांग्रेस की यह पालिसी पहले से रही है कि जब भारत की 70 फीसदी श्राबादी देहातों में रहती है, खेती से जिसका निर्वाह होता है जहां लेंडलोर्ड भ्रौर टेनेण्ट के रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुये हैं, टेनेण्ट को प्रो-टेक्शन नहीं मिल पाता, मिडिलमेन टेनेण्ट को एक्सप्लाबट करते हैं तो इनकेटलेंड रिफार्म निहायत जरूरी है। इसलिये स्वराज्य मिलने से पहले कांग्रेस ने डा. कुमारप्पा की लेंड-रिफार्म पेनल की कमेटी बनाई थी ग्रौर जिन्होंने यह बताया था कि भारत में भूमि सुधार के लिये सबसे पहले लेंड ट्रिलर की पालिसी ग्रपनानी चाहिये, इंटरमीडिएटर्स को नेस्तना**ब्**द करना चाहिये ग्रौर जो छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन बंट गई है, उसका कंसोलेशन होना चाहिये। कोई भी किसान या लैंड लोर्ड ध्रनिसिमिटेड एमाउंट की जमीन ब्रपने पास रखकर दूसरों को लेबरर बनाये और उसको एक्सप्लायट करे, ऐसी परिस्थिति न हो ग्रौर इसलिये जमीन के ऊपर सीलिंग लगा देनी चाहिये। इन चारों पालिसी का डिसीबन कांग्रेस गबर्नमेंष्ट ने 40 साल पहले लिया है [श्री माधव सिंह सोलंकी]

अप्रौर लेती रही है। यही वजह है कि श्राज हमारे देश में किसानों का जो प्रोटेक्शन हुआ है, उनको जो अधिकार मिले हैं, वे कांग्रेस की नीतियों की वजह से मिले हैं। ग्रलबत्ता, इसके इंग्लीमेंटेशन में जरूर खामियां रही हैं, हाफ हर्स्टेडनेस भी रही है, कांग्रेस की सरकारों में भी ऐसी हाफ-हार्टेडनेस रही है, मैं किसी एक पार्टी को दोष *न*हीं र्देना चाहता । लेकिन देश की ग्राज हालत यह है कि हमारे देश में 75 परसेंट किसानों के पास, इस देश में जिन किसानों की मेजारिटी है, उनके पास जमीन है 26 परसेंट भ्रौर 11 परसेंट जो किसान हैं बड़े किसान हैं, ब्राधी से ज्यादा जमीन उनके पास है श्रीर इनका एक्सप्लाटेशन चलता रहा े। इम सीलिंग के लॉ लाये, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाये । लोगों ने ऋपने नाम पर, अपनी फैमिली के मैम्बर्स के नाम पर, ग्रौरों के नाम पर हजार-हजार, दो-दो हजार बीघा जमीन श्राज भी रखी हुई है। इसे ठीक करने या सुधारने के लिये यह गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यह मैं जानना चाहंगा?

मैं जानता हं कि लैंड रिफार्म स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट का सब्जेक्ट होते हुये भी पिछले दिनों में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थीं, हिन्दूस्तान के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया था, उनको गाइड लाइन दी थीं, बिल भी दिया था उनको तैयार करके और बिल के ग्राधार पर हिन्दुस्तान में लैंड रिफार्म के कानून हुये हैं ग्रौर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सके इसके लिये मानिटरिंग की पद्धति भी चालू रखी थी । म्राज तो कुछ दिखाई नहीं देता है । श्राज जनता गदर्नमेंट की पालिसी लैंड रिफार्म के बारे में क्या है, वह भी समझ में नहीं त्राता है? ग्रभी श्राज ही हमको प्राइम मिनिस्टर का एक सरक्यूलर लैंटर मिला है, जिसमें पिछले दिनों में जनता गवर्नमेंट ने क्या सिद्धियां पाई हैं, उसका बयान दिया गया है । यह प्राइम मिनिस्टर के लेटर के पैराग्राफ 3 में ऐसा लिखा गया है कि :-

"Laws relating to land reforms are being brought under the Ninth Schedule to provide the necessary constitutional safeguards to them and enable their speedier implementation."

सेफगार्ड तो मिल_गया 9वें शैंडयूल में लाने के लिये, स्पीडियर इम्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है? 9वें शडयूल में आ गया, इसलिये स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। वह तो हर एक स्टेट को श्रीर स्टेट की गवर्नमेंट को लैंड रिफार्म को इम्प्लीमेंट करने के लिये स्पीड लानी चाहिये और आनेस्टी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिये। यह करने के लिये इनके पास क्या है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता है?

श्रभी जनता फंट गवर्नमेंट ने 8वें प्लान का एप्रोच पेपर भी सदन के सामने पेश किया है। हमने कोशिश की है कि 8वें प्लान में जनता फंट गवर्नमेंट लैंड रिफार्म के बारे में क्या करना चाहती है ? लेकिन जो एक पैराग्राफ दिया है, 21, इसमें एत्युमरेट करने के लिये कोई एप्रोच भी नहीं दी गई, कोई डायरेक्शन भी नहीं है । लैंड रिफार्म कैसे करना चाहते हैं ? गरीब किसानों के पास से जमीन चली न जाय, इसके लिये क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं ? ग्राज सारे देश में, हिन्दुस्तान में, हर एक स्टेट में रिकार्ड ब्राफ राइटस भी कम्पलीट नहीं हैं, जो है वह भी ठीक नहीं दिया गया है। जहां तक रिकार्ड ग्राफ रेट्स में किसान का हिस्सा वगैरह देने की बात है, उसको श्राप प्रोटेक्शन कैसे देने वाले हैं?, दूसरी एक ग्राम चिंता की बात तो यह है कि एक तिहाई जमीन हिन्दुस्तान में कंसील्ड टैनेंसी के नीचे है। ग्रोरल टैनेंसी क्रिएट की जाती है ग्रीर वह रिकार्ड नहीं होती है । उस जमीन पर मालिक की मुसिफी के ब्राधार पर किसान खेती करता है और बाद में उसको निकाल दिया जाता है । लैंड रिफार्म का कोई फायदा उसको मिलता नहीं है ! उस कंसील्ड टैनेंसी को रिकार्ड पर लाने के लिये जनता फंट की नवर्तमेंट क्या करना

58

चाहती है, उसका भी कोई निर्देश इसमें नहीं है । रिकार्ड ग्रप-ट्-डेंट करने के लिये क्या करना चाहते हैं, इसका भी कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। एक बात बताई गई है कि कमीशन हमने बिठाया है, एक कमीशन हमने बनाया है जो सब चीजों को एक्जामिन करके गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। ग्रगर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो बहत से किसान भिमहीन हो जायेंगे, यही मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हं

महोदय, कुछ स्टेटों में जनता फ्रांट का स्टक्चर ऐसा है कि इसमें लैंड रिफार्म का विरोध करने वाले लोग चाहते नहीं है कि लैंड वह से इस देश में ग्रच्छी या छोटे ग्रौर इम्प्लीमेंट किया जाय गरीव किसानों को प्रोटेक्शन दिया जाय। ग्राज गरीब किसानों के हाथ से जमीन निकलकर नान एवीकल्चरिस्ट लोगों के पास जा रही है।

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): They are all in the Congress Party. If you yield for a minute. I will be able to make my point. My point is that for the last four decades, in most of the States, the Congress party was the ruling party and the Chief Ministers were the Congress party. Chief Ministers and they had failed to implement land reforms with all sincerity because there is a strong, powerful, lobby inside the Congress for the landlords to see that the land reform legislations are not properly implemented.

SHRI M. M. JACOB (Kerala): They are now members of the ru-ling party.

SHRI MENTAY PADMANA-BHAM: I am only saying what is historically true.

SHRI MADHAVSINH SOLANKI: There is a lot of subs-tance in what the hon. Member

says. Even in the Congress party there had been vested interests who had not been in favour of land reforms. But it was the Congress Governments in this country which brought land reforms and gave right to the farmers. It attempted and it was successful. In many places the tillers have become the owners and occupants of the land. But it is an unfortunate blot on this country that those people, those leaders, who were there in the formation of the Independence Movement, when Independence was achieved, when the Congress brought in the policy of land reforms for implementation, left the Congress because they were affected, and formed either the Swatan-tra party or other parties which would protect the interests of big land owners. And a majority ,of those members are unfortunately found in the Janata Front today. I do not blame them. If the Janata Front is very sine -re about what it professes, in its manifesto as well as in the letter written by the Prime Minister yesterday, it should implement the reforms and provide real protection to the small people who are devoid of that protection.

श्रीसय प्रकाश सालवीय प्रदेश) : श्राप हिन्दी में बहुत ग्रन्छ। बोल रहे थे।

श्री मध्य सिंह सोलंकी : वह अंग्रेजी इसलिये मैं भी अंग्रेजी में बोला ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): The present amendment could not be brought by the Congress though they were there all along. The Congress-I Governments have been responsible for largely avoiding the implementation.

SHRI MADHAVSINH SOL-ANKI: Sir, you are mistaken. The Cdagress-Ibrought 202 pieces of legislations including the .. -. Ninth Schedule.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAQ: They have not been implemented by Congress-I State Governments.

SHRI MADHAVSINH SO-LANKI: That is precisely what I wanted to say. The Congress implemented. But, as the hon. Member says, there were lacunae and even in Congress-I there are members who are not convinced about or committed to land reforms. But the Congress policy remains and the policy will be taken to its proper conclusion.

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में जो लैंडलेस लेबरर्स की संख्या बढ़ती है, बह भी एक चिंताका रही जा जिसके पास जमीन है वह करने वाला नहीं है। खेती पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों बिजनसमेन, के पास जमीन केन्द्रित होती जा रही है। lawyers, businessmen and industrialists are purchasing land from poor people at high prices.

इनके साथ से जमीन चली जाती है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिये कुछ अर्रेज मेंट्स यह गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट की पावर्स तो नहीं है लेकिन जहां इनकी अपनी गवर्नमेंटस हैं वहां वह कुछ ऐसा अरेंजमेंट् करेंगे, ऐसा में मानता हूं।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहुंगा लैंड कि इस सवाल को अगर हल करना कोट् है तो चार चीजें करनी चाहिये। सबसे कोट पहले तो जनता फंट गवनेमेंट की पोलि- जनव टिकल विल होनी चाहिये कि अपने दस-दल के अन्दर जो भी अपोजीशन हो— But if they are committed to the poor peaple and farmers in this country, they should be prepared to undertake legislation and implement it very honestly.

तूसरा यह है कि जैसा मैंने बताया कि 75 परसेंट किसान एक हैक्टेयर

से दो हैक्टेयर जमीन धारण करने वाले । इस देश के 75 परसेंट किसानों के पास एक-दो हैक्ट्रेयर से ज्यादा जमीन नहीं है और वह अपद भी हैं, कानून के जानकार भी नहीं है। उनकी ग्रार्गे-नाइज किया जाय। स्मॉल ग्रौर माजिनल फार्मर्स को ग्रागेनाइज किया जाय ताकि वे ग्रपने हक को समझ सकें ग्रीर उसको प्राप्त करने के लिये भ्रान्दोलन भी चला सहें। जो कंसील्ड टैनेंसी को श्राप रिकार्ड पर लायेंगे, रिक्षार्ड अप टुडेट बनायेंगे । श्रवतक नयी मैथड ही नहीं किये, कंप्यूटर हैं श्रौर चीजें हैं जिससे बैकवार्ड ग्राफ राईट्स ग्रपट्डेट बनाया जा सकता है स्रीर जो सही खेती करने वाले को ही रिकार्ड पर लाया जाये 🛅 इसके लिये विलेज की कमेटियां भी संकती हैं, जो जानते है बनायी जा बोने वाला कौन है और इनको खेत इन्पूट दिया जाये । भ्रापने यह प्रोमिस कि जो पुराना डेब्ट है वह हम दिया कर देंगे। पुराना डेब्ट माफ से खेती आगे बढने वाली नहीं होने है। खेती करने के लिये इन्पृटस चाहिये ग्रौर वह देने की व्यवस्था श्राप जरूर सकते हैं ग्रीर में दूसरा भी एक रखंगा कि श्राटिकल-32वी सुझाव म्राफ दी कंस्टीट्यशन में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि स्वर्नमेंट चाहे तो लैंड रिफोमर्स के डिस्प्यट के लिये स्पेशल कोर्ट्सभी बनासकती है। ग्रागर स्पेशल कोर्टस बनायी जाये तो आज हमारी जनरल कोर्टस में दो साल, पांच साल, तक लिटिगेशंस चलते दस-दस साल । गरीब किसान इसके लिये रहते वकील की फो: भी नहीं दे सकते हैं श्राखिर में उसको जमीन भी गंवानी पड़ती है । इसके बजाय स्पेशल श्रगर होगी तो यह काम जल्दी निबर सकेगा । इस सझाव के साथ मंत्री जी यह जो विधेयक लाये हैं मैं इसका सम्पर्धन करता है।

श्री ईश दश यादव (उत्तर प्रदेश) मानतीय उपस्थाध्यक्ष जी, 66वां संविधार संशोधन विधेयक जिसे माननीय वर्मा जी ने सरकार की श्रोर से इस सबन में प्रस्तृत किया है में इसका समर्थन करता हूं। महोदय, संविधान की धारा 2 1बी में जो प्रावधान है उसके अनुसार नवीं सूची में जिन कानूनों को सम्मिलत कर दिया जाता है उनका एक प्रकार से संरक्षण हो जाता है कि उन उन को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व 202 कानून सम्मिलत किये जा चुके थे और सरकार ग्रव 55 कानूनों को इस नवीं सूची में शामिल करने जा रही है, इसलिये माननीय मंत्री श्रीर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ब्रावाई की पात है।

मान्यवर, इस देश में जो सबसे बडी गंभीर समस्या है वह भूमि-विवाद को है । माननीय माधवसिंह सोलंकी जी ा भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा था । उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रयास किया भूमि सुधार के लिये। लेकिन नम्प्रतापूर्वक निवेदन कहांगा कि मैं श्री माधवसिंह सोलंकी जी की बातों से सहमत नहीं हूं। 42 साल, 43 साल बासन रहा इनेकः। इनकी कभी नीयत नहीं रही है भूमि सुधार के लिये और अगर नीयत रही है इस पार्टी के अन्दर तो केवल एक व्यक्ति की नीयत थी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, जब वे उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू मिनिस्टर में । उन्होंने जमींदारी इवैत्युशन . . . (अवस्थान)

एँ सम्सामित सदस्य : वह कांग्रेस नहीं थी, वह गांधी जी वाली कांग्रेस थी।

प्रदेश के अन्दर जमींदारी इबैल्यूशन एक्स पास किया गया और टिलर प्राफ सोयल जो वे जिसकी जोत में जितनी भूमि यी वह उस भूमि का स्वामी बना विद्या गया उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रीर इस तरह का पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश जैसा कोई कानून मेरी जानकारी में नहीं है कि टिलर आफ दि सोयल को उसका स्वामी बना दिया गया।

एक सम्मानित सबस्य : गुजरात का कानून नहीं पढ़ा श्रापने ।

थी ईश दत्त बादव : हमने सब पढा है. श्रापको घौर पड़ा रहा हूं। महोदय चौषरी चरण सिंह जी इससे धागे बढ़कर भी भूमि सुधार का कानून लागू करना चाहते थे। ाब नागपुर में कांग्रेस का ग्र**धि**वेशन हुइ। तो सम्भवतः 1954 में इस देश के नेता तत्कालान प्रधान मंत्रा पं**डित** जवाहरलाल नेहरू ने कोशापरेटिव कामिन का प्रस्ताव वहां रखा था श्रीर चौधरी चरण सिंह ने इसका विरोध किया था। बाद में चल कर चौधरी, चरण सिंह ने दो पुस्तकों लिखी--'कोड परेश्व फार्मिन एक्सरेड' ग्रीर दूसरी, 'पावटी द्राफ इंडिया एंड इटस सोल्युशन' । तभी यह नीबत कार्या भाकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिहको उस पर्टी की छोड़ना पड़ा। यह मेंड्स ग्रिफिशिय से कहे एहा हक्ति 42-43 वर्षी में क्रांडेस के लोगों की कोई नीयत नहीं थो । अगर भूमि सुधार कानून लागू हुना तो केवल उत्तर प्रदेश के शन्दर लागू हुआ क्षीर उसको लामु करने वाल को धरी चरण सिंह वे जिन्होंने कांग्रेस की विचार-धारा से हदकर ग्रुपनी विचारशारा से लागु किया । माननीय सोलका की इस बात से सहमत हूं कि इस देश में कड़े-बड़े लैंड-लाईस हैं। 400, 400 एकड़ जमीन लोगों के पास है। उत्तर प्रदेश में मंगनदेव विशारद एक कर्माशन हैंठा था। वह सीक संभा के सदस्य ये अन नहीं हैं। विद्वान श्रादर्भा थे धौर इत्-कुच्छि जाति के उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की कौरा क्षिया । स्थीको का स्मीरा क्षिप कि किस के पास किलगी जमीन है और

श्री ईश दत्त यादवी

उन्होंने अपने कमोशन को जो रिपोर्ट के उसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लोग बड़े-बड़े फार्म बाले हैं और कुत्ते-बिल्ली के नाम पर द्रस्ट बनाये हुए हैं। इनसे जमीन से बेनी चीहिए। मैं श्रापके माध्यम से बताना बाहता हूं . . . (अयवधान)

डा० एत्नाकर पाण्डेयः भातनीय सदस्य ने विशारद कमीशन को रिपोर्ट की बात की है। विशारद कमीशन का रिपोर्ट पर मेरो बात भी सुन लें। ग्राप परिंगत सदस्य हैं और मेरी जिज्ञासा का समिधान मवस्य करेंगे इस ख्याल से उपसभाध्यक्ष ज) मैं आपकी अनुमति चाहता हूं बोलने की । विशारद कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री कांग्रेस के विश्वनाथ प्रताप सिंह जो वर्तमान में भारत के प्रधान मंत्रों हैं, इन्होंने दो ट्रस्टबनाये थे-ए_{वः}, राम-जानको इस्ट और दूसरा, दहिया इस्ट । इन दोनों इस्टों के माध्यम से बई हमार एकड़ जिमान नाजध्यत ढंग से कब्जे में की है स्रीर अस्ति तक विकारित वहे ईमानदार विधायकों में माने जाते हैं । उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हैं। क्रान तक प्रधान मंत्री होने के बावजुद भी विश्वनाथ प्रताद सिंह पर जो जैंड ग्रेविंग का श्रारोप विशास्त कर्मी-शन ने उत्तर प्रदेश में लगाया था उसका स्पष्टोकरण नहीं दे सके। (व्यवधान)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, I am on a point of order. Whatever happened in the State Legislature cannot be discussed here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): He has made only a reference to it.

डा॰ रानाकर पाण्डेय में जानना चाहुंगा कि क्या विक्वनाथ प्रताद सिंह ग्राप्ती सारो जमीन दोनों ट्रम्टों की जो नाजायज ढंग से कब्जा किए हुए हैं उसको दोन करेंगे या गरीबों में वित्तित करेंगे? में इतना ही माननाय सदस्य से ग्रीर मंत्री जी से प्छना चाहता है। श्री **इंशवल याद**ाः पांडे जं। जो बात कह रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं श्रापक माध्यम से कहना चाहता हूं . .

डा॰ रश्न**ाकर पांडे**ं हकीकत है या महीं यह बता दें।

श्री ईशक्त यांदव: हकीकत नहीं है।
ग्रापके माध्यम से श्री पांडे जी को रमरण
दिलाना चाहता हूं, उनको स्मरण ही होगा
कि मंगलदेव विभारद समिति ने यह रिपोर्ट
दें। भी कि कांग्रेस के वयोवृष्ट नेता जा
वारणसी के ग्रीर पांडे जी के पास के रहने
वाले हैं उनके पास इस तरह की बहुत
ज्यादा जमीन है।

मैं चाहता हूं कि इस देश में सुधारों को सही मायने में लागू किया जाये। सीलिंग के कानून बनाये गये **औ**र संभवत: 1950 से 1960 तक कोशिश की गई सीलिंग एक्ट बनाने के लिए। 1972 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश भी दिये कि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कड़ाई से कार्यवाही की जाय और भूमि निकाल कर ध्भूमिहीनों के बीच वितरित की जाय, लेकिन यह कानून ग्राज तक सही मायनों में लागू नहीं हो सका । इस कानुन के अन्दर जमीन निकाली नहीं जा सकी भ्रौर जो जमीन निकाली गई वह लोगों में वितरित नहीं की जा सकी। इसलिए में चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, सीलिंग एक्ट के ग्रन्तर्गत भूमि ग्रधिग्रहीत करके उसको भमिहीन लोगों ग्रीर लेण्डलैंस लोगों के क्षीच में दितरित करने के लिए ग्रावश्यक **अ**ौर कड़ी कार्यवाही करे, तभी जो बड़े-बड़े बिग फार्म वाले लोग हैं उनकी भिम की सीमा निर्धारित की जा सकती है ग्रौर देश के श्रन्दर जंभिता की कमी वाले लोग हैं। उनके पास भिम हो सकती है

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर कंसोलीडेशन आफ होल्डिंग एक्ट लागू करने के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है, कार्यवाही की जानी चाहिए और इसके अन्दर देश के किसानों का हित हो सकता है और उनकी जो जमीन टुकड़ों में इधर-उधर रहती

है **वह** एक जगह इकट्ठी हो सकती है और उसका सार्वजनिक उपयोग के लिए श्रौर गांव के उपयोग के लिए प्रयोग हो सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को निर्देश दे कि सोलिए एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय ग्रौर साथ-साथ हर प्रदेश की सरकार श्रयने प्रदेश में उत्तर प्रदेश की भांति कंसोलीडेशन एक्ट वनावे और उनकी लागु करे । इस तरह के जो एक्ट वनें, भूमि संबंधी एक्ट बने, उन सबको नवीं मुची में सम्मिलित कर लिया जावे। ग्राज तक भूमि सुधारों के जितने भी कानुन बने, चाहे पिछली सरकार ने किये हो चाहे हमारी वर्तमान सरकार प्रयास कर रही ही उनमें केवल कृषि संबंधी भूमि के संबन्ध में सारे के सारे कानुन बनाये जा रहे हैं। केवल दो तरह की सम्पत्ति इस देश में बढ़ती जा रही है। एक तो इंडस्टी स्रोर कल-कारखानों की ग्रौर दूसरी शहरी सम्पत्ति। मैं चाइता है कि शहरी सम्पत्ति के लिए भी सीलिय का कानून बनाया जाये और उसका कड़ाई से पालन किया जाये। लोगों के पास सैकडों मकान ग्रौर इंडस्ट्रीज हैं। देश के अन्दर आधिक विषमता बढ़ने का सबसे मूल कारण यह है कि देश के ग्रन्दर शहरी सम्पत्ति ग्रौर कारखानों के लिए ग्राज तक कड़ाई से कोई कानून नहीं बनाया गया है। जिस व्यक्ति के पास कल-कारखानें हैं उसके भरण-पोधग के ग्रलावा जो ग्रन्म कार-खानें हैं वे सारे जब्त कर सिये जायें। मकानों के अधिग्रहण के लिए सख्त कानून बनाया जाय ! इसलिए मैं श्रापके माध्यम से सरकार से कहना चाहुंगा कि उसने जो ग्रफ्ने बोषणा-पत्र में कहा है उसके मुताबिक देश के अन्दर आधिक विषमता मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जावे और प्रतिरिक्त शहरी सम्पत्ति को **अधिप**क्षीत करने के लिए **कानने** बनाया जामें और इस प्रकार से ग्राधिक विषमता को मिटाया जाये। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्रों जो ने जो छियासठबां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तृत किया है, मैं उसका हृदय में समर्थन करता है।

श्री सुरेन्द्र तिहः ठाकुर (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्येक महोदय,

श्राज हम बहत ही महत्वपूर्ण विधेयक के संदर्भ में बहा चर्चा कर रहे हैं। उस समय मुझे थोडा ग्रकसोस हग्रा जब हमारे सामी ग्रादरणीय गादव जी न कुछ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया । मैं बड़े ग्रदव के साथ **निवेद**न करना चाहता हूं कि सही मायनों में ग्रौर सच्चाई में ग्रगर गरीबों के मसीहा श्रीर जमींदारों के दश्मन श्रीर वे लोग जो खेती करते थें, उनको खेतों पर कञ्जा दिलाने वाला ग्रगर कोई पूरुष भारत के इतिहास में हुआ है तो बह पंडित जवाहर लाल नेहरू हुये हैं, जिन्होंने 1940 में ही डा० कमरप्पा जी की श्रध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को यह कार्य दिया नया था कि वह जमींदारों, जो कि सही मायनों में बिचौलिये उस समय कहलाते थे, जो न सिर्फ इन गरीब किसामों का खुन पीतेथे, जो कि रात दिन बेहनत करते थे, इनको किस तरह -लरह से इनके बीच में से हटाका जाय ताकि सीबेसीधे उस खेत का लाभ उस व्यक्ति को मिले जो उस पर मेहनत करता है और फमल पैदा करता है। वे न केवल यहां तक सीमित रहे बस्कि संविधान संशोधन भी इसी बात के लिये लामा गया था ग्रीर 1951 में थह जो हम आज काम करने जा रहे हैं, उसी तरह से नाइंथ शैडयूल में जो राज्यों द्वारा कामन बनाये गये उनकी एंट्री के लिये भी पहला संविधान संशोधन 1951 में पंडित जी की प्रेरणा से हम्रा था । मैं चरण सिंह के प्रति कोई श्रेसम्मान प्रकट करना नहीं **चाहता हैं**। लेकिन सच्चाई ग्रपनी जगह कायम है ग्रीर उसको कोई नहीं बदल सकता है और न हमारे साथी ग्रादरणीय यादव जी बदल सकते हैं। पंडित जी ने अपर्यं संविधान संशोधन के माध्यम से इनको काननी संरक्षण प्रदान किया जो कान्त राज्यों द्वारा बनाये गये थे। ग्रादरणीय इंदिरा जी उनसे भीएक कदम आगे बढीं । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सइट ट् ग्रदैक (किया और उसको समाप्ता किया । केवल इतना ही नहीं

68

[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकूर] इंटिरा जी ने संविधान संशोधन के द्वारा सविधान में जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, उनकी ताकत को बढ़ाया समय मूल अधिकारों पर श्रौर उस प्रहार करने से भी नहीं चक । जो यह अधिकार यह कहते ये कि सब को बराबरी का दर्जा मिले लेकिन उससे इरिजन ग्रीर ग्रादिवासियों का शोषण होता था । निदेशक तत्वों की ताकत इंदिरा जी ने बढ़ाई । 25वें संशोधन के द्वारा,जो 1971 में पास हुआ। और 20-4-72 से लागू हुम्रा । इन एतिहासिक पुरुषों ने श्रपने इच्छा, कांग्रेस पार्टी की इंच्छा को स्वीकार करते हुये भारत के इन लाखों करोड़ गरीब किसानों को जो सही *मायनों* में रात ग्रौर दिन मेहनत करते थे, खेलों में मेहनत करते थे उनको कानुनो संरक्षण प्रदान किया। ग्राज भी हम जो यह 55वीं एंट्री नाइंथ शैड्युल में करने जा रहे हैं, इस विधेयक के माध्यम से, मैं इसके लिये सरकार को बधाई दूंगा। लेकिन मैं यहां पर निवेदन करना चाहंगा कि **ग्रगर किसी तरह का राजनै**तिक लाभ श्रापकी पार्टी इस संविधान संशोधन के माध्यम से लेना चाहती है तो वह लाभ शायद द्यापको नहीं मिल पायेगा क्योंकि **ये** सारे कानुन उन सरकारों के द्वारा बनाये गये हैं, उन राज्यों के द्वारा बनाये गये हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इसको द्याप देख **सकते** हैं,चेक कर सकते हैं । यह कोई बहुत बड़ा काम ग्राप ग्रयनी ग्रोर से नहीं करने जा रहे हैं। ग्रगर ग्राप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो हम भ्रापका स्वागत करते हें श्रौर इसमें श्रापको श्रामंत्रित करते हैं । इस देश के लख्डों करोड़ों किसान ग्रापसे यह ग्रपेक्षा करते हैं कि ग्राप जरूर करें, यह बहुत बड़ा काम होगा अगर आप इन कानूनों को सख्ती 1 Рм से कार्यान्वित करें। हमें उम्मीद कम है, जैसे पांडेय जी ने ग्रभी कहा कि दाहिया ट्रस्ट ग्रौर रामजानकी ट्रस्ट के मालिकों की इच्छा कभी उस बारे में इस देश की जनता के सामने खुलासा करने की नहीं हुई।वेधौर उनके

अन्यायी जो सरकार में बैठे हुये हैं,

को इन कानूनों को कैसे कामों लागु कर पायेंगे इस बात की शंका हमारे मन में ब्राज भी विद्यमान है और वह शंका तभी दूरहोगीजब स्नाप हरिजन, गिरिजन, श्रादिवासी श्रीर जिनके पास खेती नहीं है, जो गरीब हैं उनके संरक्षण के लिये सारी जो ग्रापकी मर्यादायें हैं चाहे वे ग्रापकी सामंतशाही की मर्यादायें हों चाहे जाति की मर्यादायें हों, चाहे पार्टी की मर्यादायें हो या ग्रौर किसी दूसरी प्रकार की मर्यादायें हों, उनको भंग करके ग्रागे भावेंगे तभी हमारे मन में विश्वास होगा कि ग्राप ग्रव निश्चित रूप से इन कानुनों का सही मायनों में ऋयान्वयन कर पायेंगे। ग्रापकी विल कानू बनाने में कितनी रही है यह मार्च 1977 से दिसम्बर 1980 में क्लियर हो जाता है। जो उस समय मंत्री थे काफी लोग ग्रभी भी हैं इस सरकार में, उस पूरे समय में कोई इस प्रकार का कान्न, कोई पहल इस दिशा में ग्रापने नहीं की, यह तो रिकार्ड से पता लगता है ।

मेरा एक प्रश्न है। चुंकि यह बहत महस्वपूर्ण मसला है और सर्वाधिक देश की जनता इस कानून से प्रभावित होने वाली है भीर हो रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हं कि इस संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व क्या उन्होंने किसी प्रकार की--क्योंकि जो विधेयक-पत्न प्रसारित किया गया है उससे लगता है कि काफी पूराने कानुनों को भी इसमें एन्ट्री देने जा रहे हैं---ऐसी को**ई पुनरीक्षण समिति ब**नाई ऋौर इस वात की जांच कराई कि वे सारे कान्न क्या ब्राज भी सामधिक हैं, उचित हैं। यह बताने की कृपा करें ग्रीर ग्रगर नहीं जांच कराई गई तो क्यों नहीं कराई गई क्योंकि जिसका ढिढोरा बहुत पीटा जा रहा है कि भूमि-स्धार कानून लाया जा रहा है इसका श्रेय ग्रापकी सरकार, श्रापकी पार्टी ग्रीर जो दूसरी पार्टिय ग्रापके साथ हैं उनको तभी मिल सकता है जब श्रापने इस पर विचार किया होता। यह तो श्रापने सिम्पली जो कानून राज्यों ने बनाये थे उनको बिना कोई पुनरीक्षण किये, 9वें शैड्युल में एन्टर करने का एक छोटा सा काम किया है।

ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन किसानों की श्रोर जो श्रनपढ़ होते हैं, जिनको नक्शे की भाषा पढ़ने की क्षमता नहीं होती और उस अनपढ़ी का फायदा जब राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उठाया जाता है ग्रौर उसके माध्यम से उनका शोषण किया जाता है तो इस पर ग्राप किस प्रकार से रोक लगाने जा रहे हैं, कृपया जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण दें। क्योंकि स्राज सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो किसान हमारा है वह बे-पढ़ा लिखा है ग्रार जो पढ़े लिखे हैं वे सही मायनों में किसान नहीं हैं जैसा कि सोलंकी जी ने कहा कि वे किसान होने के हकदार भी नहीं हैं। सही मायनो में ग्रगर किसान की परिभाषा में कोई व्यक्ति ग्राता है तो जो बे-पढ़ा लिखा ग्रामीण जन है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह है। उसका शोषण ग्राज भी होता है। पटवारी से लेकर क्लेक्टर तक ग्रौर ऊपर भी उसका शोषण करते हैं। तो उस शोषण को जो उनके त्रानपढ़ होने के कारण किया जाता है उसको ग्राप किस प्रकार से रोकने जा रहे हैं।

नक्शे जो बने हुए हैं वे वर्षी पूराने वने हुए हैं क्या श्राप नई तकनीकी के श्राक्षार पर नये तरीके से उन्हें बनाने जा रहे हैं और क्या ग्राप स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बात के लिए ग्रादेंशित करेंगे, निर्दे-शित करेंगें कि नये प्रकार से एक नये सिरे से पूरी भूमि का सर्वे करवायें क्योंकि जो पुराने सर्वे हैं वे अब ग्रसामयिक हो गये हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया—क्योंकि यह साईस का युग है, तकनीकी हमारे पास बहुत ग्रा चुकी हैं। माना कि किसान उन तकनीकों के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमा र, श्रापका दायित्व, कर्तव्य है कि हम उन टैक्नालोजीज का फायदा उस किसान के पास पहुंचायें, जो सही माने में इसका पहले हकदार है।

उन टैक्नालोजीज के माध्यम से क्या कोई फ्लप्रफ गारंटी योजना स्राप उनके बीच में देना चाहते हैं, जिससे कि वह छोटी-छोटी चीजों के लिए— (समय की घंटी) जो लोग गांव से प्राप्ते हैं, जिनका खेता-बाड़ी का ही बैकग्राउन्ड है, वह इस बात को जानते हैं कि छोटे से प्रगर दाखिल-खारिज का भी उसका प्रगर कोई कागज बनवाना है, बाप के चार बेटे हैं ग्रीर उनका प्रगर बंटवारा होना है, तो इसके लिए भी उनको कई बार ग्रापनी पूरी जायदाद लगा देनी पड़ती है। यह उसका कानूनी हक है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की मुश्किलों को दूर करने के लिए क्या इस प्रकार की कोई योजना ग्राप बनायेंगे?

दूसरा, मेरा फारेस्ट लैंड के संदर्भ में बिंदू है। लाखों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उनमें मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं जिसके बारे में मैं ज्यादा जानता हुं, तो वह हरिजन, आदिवासी ज्यादा हैं। हरिजन, ग्रादिवासियों के संरक्षण के लिए कल हमने एक विधेयक पास किया है। उसका सही माने में मतलब तब निकलेगा, जब भ्राप इस बस्त को सुनिष्चित करेंगे कि फारेस्ट एक्ट, 1980 में पास हुआ था, उसके बाद भी-- व्योंकि उसके बाद भी भूमि फारेस्ट की है और कोई काबिज ग्रगर उस पर है, तो उसके यद्वे ग्रस राज्य की सरकारें बना कर नहीं दे रही हैं।

तो क्या आप इसमें रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि मैं सविनय निवेदन के ना चाहता हूं कि कई लोगों के पट्टे इसिलए नहीं वन पाये थे कि वहां उन अधिकारियों को खिलाने-पिलाने की व्यवस्था उन गरीब किसानों के पास नहीं थी और नही उनको इस प्रकार की जानकारी थी। जब उनको मालूम हुआ, तो समय सीमा निकल चुकी थी।

तो में श्रादरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि जो प्रदेशों में फारेस्ट लैंड पर जिनका कब्जा है, जो खेती-बाड़ी करते ग्रारहे हैं, श्रीर रेवेन्यू सरकार के पास भले हा नहीं जाता, लेकिन रेवेन्यु अधिकारियों के

[श्रो सूरेन्द्र सिंह ठाक्र] पास, उनके द्वारा जहर पहुंच जाता है।

(समय की घंटो) उस पर रोक लगाने के लिए क्या कोई रिलैक्सेशन पालिसी में, कानन में देंगे ?

बीस-सूती कार्यक्रम के माध्यम से भूमि का स्रावंटन हुन्ना, पर जो गांव की समस्या है, वह मैं ग्रापकी नालेज में लाना चाहता हूं। उसके तहत ग्रभी जो कानून है, उसके श्रानुसार साढ़े साल प्रतिशत गांव की जमीन निस्तार के लिए सुरक्षित रखो जाती है, लेकिन हकीकत में ग्रगर देखा जाए, तो गांव में कीई जमीन निस्तुर की वची नहीं है। उस सारी जमीन पर कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार से ग्रतिक्रमण कर चुका है, वह काबिज हो चुका है ग्रौर बाकायदा उसमें खेती कर रहा है, क्योंकि यह एक व्यावहारिक मुद्दा है।

मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि क्या श्राप इस पर विचार करेंगे कि उस जमीन का ग्रावंटन उनको कर दिया जाए ग्रौर जिस कारण से, क्योंकि कारण उसमें यह था कि गांव के जो मवेशी होते हैं, उनको चराने के लिए जगह चाहिए ग्रौर दूसरे इकोलाजिकल बैलेंस बना रहे, इनविरनमेंटल प्राह्लम खड़ी न हो। तो उसमें एक सुझाव मैं ग्रपनी तरफ से देना च।हता हूं कि क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे कि हरेक किसान को ऐसे निर्देश दिये जाएं कि उसकी ग्रपनी जमीन में कुछ प्रतिशत वह इस काम के लिए सुरक्षित रखे, ताकि इको-लाजिकल बैलेंस ग्रौर पर्यावरण पर कोई विपरीत ग्रसर, उस निस्तारी जमीन के ग्रावंटन के बाद भी, नहीं पड़े । (समय की घंटो) भैं कनक्लूड ही कर रहा हूं।

ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बिद् पर ग्रापका ध्यान ग्राकुष्ट करना चाहता ह ग्रौर वह हरिजन, ग्रादिवाती भाइयो से संबंधित है। हरिजन, ग्रादिवासी भाइयों की हकीकत में ग्राज गांव में दिक्कत यह है उनके पास न रहने का कोई **म**कान है ग्रौर न ही सुबह उठ कर शौच करने को कोई जगह बची है। अतिकमण गांव में इस प्रकार से काबिज हो चके हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि यह नियम है कि उनको मकान दिया

जाए, या प्लाट दिया जाए, लेकिन 🕍 जो बात ग्रसल में है, वह यह है कि उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है ।(त**म**ा की **घंटी**) तो जब उसके कार्यान्वयन में जायेंगे, तो क्या वह इस बात का ध्यान रखेंगे उनको जो मकान या प्लाट दिये जाते हैं. वह कम से कम इतने बड़े दिये जायें कि वह अपने पूरे परिवार के साथ उसमें रह सकें, ऐसा नहीं हो कि एक मकान हम उन्हें इतना छोटा दे दें या एक प्लाट इतना छोटा दे दें जिसमें कि एक कमरा ही बने । अत्र उसमें मां-बाप भी रह रहे हैं, बेटा भी रह रहा है ग्रौर शादी होने के बाद बेटा ग्रौर वह भी उस कमरे में रहने के लिये मजबूर हों। तो ऐसी स्थिति को हमें टालना चाहिये। हालांकि मुझे उम्मीद कम है क्योंकि फतेहपुर में हरिजनों के साथ ग्रौर हमारे मध्य अदेश में भी जो हुआ है, उससे मुझे उम्मीद कम है लेकिन, मैं चाहंगा

कि इस बारे में ध्यान दिया जायें।

sixth Amendment)

Bill. 1990

ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चंकि समय कम है, इसलिये मैं यह चाहूंगा भूमि-स्धार ग्रधिनियम का कि इस फायदा उन लोगों को मिले जिनका सही मायनों में इस विधेयक के माध्यम से लेने का हक बनता है क्योंकि ग्राज इस विधेयक को पास करना महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण यह है कि जो कानून राज्य सरकारों ने वनाये हैं, उन का कियान्वयन स्नाप सही तरीके से करवा सर्भे । यह बहुत महत्वपूर्णहै ! यहां जिस मानसिकता वाली पार्टी की सरकार है, उस सरकार के सदस्यों को देखकर, मुनकर ग्रौर उनकी कार्य-वाहियों से यह कहीं से भी श्राभास नही होता है । इन में सामंत हैं, जागीरदार हैं और वड़े-बड़े जमादार हैं और इस सारी मंडली को देख कर मुझे इसका श्राभास नहीं हो पारहा है कि वह गरीब, हरिजन ग्रौर ग्रादिवासियों के हित में कोई इस प्रकार का कदम उठा पार्थेगे।

महोदय, अंत में मैं यह कह देना चाहत: हुं कि ऋगर ऋाप इस बिल के माध्यम से कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Mr. Vice-Chairman- I rise to support the Bill. The Bill seeks to include another 55 Acts relating to land reforms in the Ninth Schedule of the Constitution, It is, no doubt, a positive step. That is why]I am supporting it.

As you know, at present, about 13 lakh acres of land is locked up in litigation in courts. I think, the intention of the Bill is to provide some safeguards to the existing land ceiling laws and tenancy laws. This Bill, to some extent, paves the way for distribution of land still under litigation.

At the same time, I say that this is not enough. It is nothing new. The hon. Minister himself, in his speech while moving the Bill, admitted that out of 202 Acts included in the Ninth Schedule of the Constitution, 162 Acts relate to land. Therefore, it is nothing new. As the hon. Minister himself admitted, about 162 Acts have been given berth in the Ninth Schedule. But it only touches the fringe of the problem.

Therefore, I request the hon. Minister and the National Front Government not to be very complacent and not try to pat their own back simply by including these land ceiling laws in the Ninth Schedule of the Constitution. The National Front Government should give more

thought to the implementation of land reforms. We should not for-get. The Minister also said in his speech. He mentioned about the Resolution of the Avadi Congress. We should not forget that 'land to the tiller' was the battle-cry with which millions of peasants joined the freedom struggle. Ending landlordism, lock, stock and barrel, in all its forms, by smashing its deadly grip over the rural society and making the cultivator the owner of the land he tilled, was considered by the peasantry to be the essential ingredient of freedom wihich they hoped would solve all their age-old problems of poverty, landlessness and backwardness. Only such a radical transformation of rural society could have made the basic needs of the population to create an ever expanding market for industry. thereby facilitating transformation from a backward agrarian economy into a flourishing industrial country.

sixth Amendment)

Bill. 1990

But after 42 years of independence what are we witnessing today? Sir, in the year 1969 the then Government instituted a Committee, Mahalano-bis Committee. This Committee estimated that if we take 20 acres as family cetfiing, 63 million acres of land would have been available for distribution. But up till now only 78 lakh acres of land have so far been declared surplus and out of which 58 lakh acres have been taken possession of and only 45 lakh acres have been distributed so far. So, this is the shabby state of affairs after 42 years of independence.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI M. A. BABY): One lakh acres per year after independence.

SHRI RAMNARAYAN GOS-WAMI: In spite of repeated promises by the Central Government and the State Governments, no effort is made to distribute this waste land to the landless cultivator. It is also reported that to prevent

[Shri Ram Narayan Goswami]

cultivable waste-land from being distributed, powerful landlord elements who are illegally occupying it, have got it declared unfit for cultivation with the connivance of corrupt revenue officials. This is not all in many States. Thousands of eases have been instituted against the poor cultivators of the Government wasteland and forest banjar land.

Then there are 29 million acres of bhoodan land. Bhoodan movement was over in 1950s itself. How is it that even after 40 years that land has not been distributed to the agricultural workers and poor peasants? For all these deliberate attempts to stall the implementation of land reforms the land holding pattern of our country is very much skewed to big landholders. Now the agriculture census report of 1985-86 is available. According to this report 76• 4 per cent of the cultivating households below 2 hectares are operating only 28.8 per cent of the land. On the other hand, 20.2 per cent of the land is concentrated in 2.4 per cent of the large landholdings. I want to know why land reforms are not implemented. In the Ministers Conference Revenue December, 1988 the then Agriculture Minister, Shri Bahajan Lal, lamented by saying, I quote:

"Despite direction given to the State Government that protection needs to be provided to the benefici-ary allottees of ceiling land against dispossession, there has been no improvement in the situation."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please try to conclude within two minutes.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: In that conference , the then Rural Development Minister, Shri Janardahan Poojari, said:

"I am not unaware of the tremendous pressure from the land-owners' lobby against entering the names of sharecroppes and tenants in land records. It is also widely known that some States have even gone to the length of directing their lower revenue machinery not to record such tenements, notwithstanding that such instructions may well be inconsistent with the provi-sions of law."

Sir, apart from the observations made by Shri Bhajan Lal and Shri Janard-han Poojari, recently the Lal Baha-dur National Academy of Adminis-tration observed:

"The incidence of informal tenancy-was highest in Bihar (95.30 %) and U. P. (87.20 %) followed by Haryana (57.80%)."

They also observed:

"The occupancy tenants are also continuously evicted. No share crop-per can adduce evidence in the con-text of the atrocious nature of land-lordism prevalent in Bihar."

So, what I want to say is that mere: enacting of some laws or amending the Constitution is not sufficient. The political will and a militant mass movement of the peasants are urgently required. Here lies the question why land reforms have made some headway in West Bengal and not in other parts. In West Bengal, Kerala and Tripura there is a big peasant movement, and the Left Front Governments are also supporting it. So, political will is required and a militant mass movement of the peasa-nts has also to be built up. I would also request all the parties to severe their ties with fee landlord lobby.

Sir, Mr. Solanki also mentioned that in their party, and other parties also, the landlord lobby is strong. Dr. Ratnakar Pandey my learned colleague, has mentioned the name of our Prime Minister, Shri V.P. Singh, but he failed to mention the; name of Shri S. N. Sinha, the previ-ous Chief Minister of Bihar. He also failed to mention the name of Shri M. K. Moopanar, their leader

77

also failed to mention the name of Shrimati Madhuri Sihna, an M. P. then. So, I want to remind them that there are so many persons in their party who are evading land ceiling laws and still retaining much land over and above the ceiling.

Now, Sir, Mr. Devi Lal is our Deputy Prime Minister. .. (In-terruptions) ... I understand that he is the most respected leader of the Bharatiya Kisan Union and he is also respected by the peasant organization led by Shri Sharad Joshi. With best regards to him, I would urge upon him to please tell all these organizations to include the issue of land reforms and the issue of wages to the agricultural workers in their charter of demands.

Sir, I do not want to take much of your time. I would only suggest that merely giving a berth to the ex-sting land reforms will not pay much dividend. So I would suggest for the Minister's consideration that some steps should be taken to plug the loopholes in the existing land ceiling legislation. Without this, not much land will be available for distribution. Secondly, I want to suggest whatever land is available' for distr-bution, including the waste land and forest Banjar land, should be dsitributed at once.

Thirdly, a ban should be imposed on eviction. I say this because a large-scale eviction has been going on in various States, including Bihar and U.P.

Fourthly, the land of the Adivasis, which has been grabbed by money-lenders and landlordrs should be given back to them.

Lastly, as has been mentioned by other' hon. Members also, and' records should be updated. Otherwise, nothing can be done.

I hope the hon. Minister will take steps on the lines I have suggested.

sixth Amendment) Bill. 1990

With this I again support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, the House stands adjourned till 2.15 P.M. today.

> The House then adjourned for lunch at twentysix minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seventeen minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We continue the discussion on the Constitution Amendment Bill. Dr. Abrar Ahmed-Khan.

डा**ः धवरार शहमद जान** (राजस्थान): माननीय उपसभाष्ट्यक्ष महोदय, बिल का समर्थन करने के लिये ऋौरः कांग्रेस की हमेशा यह हम्रा रही कांग्रेस का हमेशा से सिद्धांत रहा है कि कभी भी किसी गरीब संबंधित, किसी निर्धन से संबंधित. से भनुभूचित स संबंधित, पिछडे संबंधित कोई भी बिल आये एक व्यक्तिको साभ मिले या अनेकों को लाभ मिले, अधिक लाभ लाभ मिले कांग्रेस ने समर्थन किया है और मैं इस बिल का समर्थन लिये खड़ा हुमा हूं । कांग्रेस है, महात्मा गांधी ने. लाल नेहरू ने, श्रीमती ने ग्रौर उसके बाद राजीव बराबर से पिछडे लोगों की लिये. निर्धनों को ऊपर गरीकों को ऊपर उठाने बिल यहां लाय है,

[डा॰ ग्रवार ग्रहकद खान] कानून बनाये हैं, कानूनों में तबदीली की है तो मैं उनकी नीति-रीतियों को, उन के सिद्धांतों को ग्रागे बढ़ाने के लिये मैं इस बिल का संमर्थन करता है।

महोदय, मेरे माननीय सदस्यों ने ऋभी मेरे पूर्व काफी कुछ बोला है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, उसकी यहां रीपीट नहीं करना चाहता, इसलिये मैं माननीय मंद्री महोदय को इस बिल के वारे में कुछ सुझाव खास तौर से देना चाहता हुं । उसमें सबसे पहला, मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पटवारी के पास जो गिरदावेरी का रिकार्ड होता है उसमें मात्र उस भूमि के मालिक का नाम लिखा जाता है । उस पर वास्तव में कृषि कौन करता है या कृषि करने वाला कोई व्यक्ति है उसका कहीं लखा-जोखा नहीं होता है । उसके कारण से जो वास्तव में कृषि करने वाला होता है यदि वह बटाईदार होता है उमके हाथों का, उसके श्रधिकारों का हनन होता है। तो माननीय मंत्री जी से में यह कहना चाहंगा कि जो गिरदावरी का रिकार्ड पटवारी के पास होता है उसके अन्दर इस प्रकार का प्रयोजन करें कि उस भूमि के मालिक के साथ-साय वास्तव में उस भूमि पर जो कृषि करता है, उस भूमि पर जो खेत: करता है उस व्यक्तिका भी उसके श्रन्दर नाम हो ।

दूसरे, इस विल के अन्दर यह जो बात आयी है नवीं अनुसूची में सम्मिलत करने वाली तो उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कोई विशेष वात नहीं है। विशेष बात तो एक है कि हम इसका इंप्लोमेंट कैंसे करते हैं? इसको क्रियान्वयन कितना कर पाते हैं? कानून तो पहले भी बहुत बने हैं, कानून अब भी बन रहे हैं और रोज हम यहां वैठ कर कानून ही बनाते हैं। लेकिन उसका कितना कियान्वयन कर पाते हैं, असल मुद्दा यह है । इस सबंध में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर जो जमीने आवंदित होती हैं वह आवंदन गरीब व्यक्तियों में नहीं होता। जो वास्तव

में हकदार होते हैं उन को नहीं होता। जो सरकारी अधिकारी आबंटन करने जाते हैं उस समय वे किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं उसको मैं नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहुंगा कि जो तरीके उस समय ग्रपनाये जाते हैं उससे गरीब व्यक्ति जो वास्तव में भृमि का हकदार है वह उससे वंचित रह जाता है । जो जमीदार हैं वह किसी न किसी तरीके से उन जमीनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों के नाम, ग्रपने नौकरों के नाम या इसी तरह ग्रपने दूसरे व्यक्तियों के नाम आवंटित करा लेते हैं जिससे वास्तव में जो भूमि के लिये हकदार हैं वह रह जाते हैं । इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहंगा कि जो कृषि भूमि के म्रावंटन का तरीका है उसमें इस प्रकार से सुधार करने की ग्रावश्यकता है जिससे जो भिम का वास्तविक हकदार है उस को आबंटित हो सके। जो गलत तरीके से ग्रावंटन होता है उस पर रोक लगाई जाये। जैसा सोलंकी जीने कहा कि जो व्यक्ति कृषक है,बास्तव में कृषि करने वाला है उसको भूमि का ग्राबंटन नहीं हो पाता । जिन व्यक्तियों का काम कृषि कराना नहीं है, जिनका धंधा ्रश्रीर है, व्यवसाय कुछ ग्रौर है, जो शहरों में रहते हैं, करेंबों में रहते हैं, जिन्होंने कभी खेती की शक्ल नहीं देखी वे लोग भूमि केहकदार हो जाते हैं । इस संबंध में यह भी ध्यान दिलाना चाहुंगा कि जो भूमि का आवंटन हो वह उस व्यक्तिको हो जो सन्द्र कृषक हो, कृषि करत**ेहो, खेत** में हल चलाता हो । इस क्षत कः ध्यान रखना ग्रावश्यक है।

में यह कहना चाहूगा कि भूमि सुधार कानून में कुछ साइड अफेक्टस हैं। जैसे एक किसान कर्जे के अन्दर जम्म लेता है वह कर्जे के अन्दर ही मरता है। उस किसान की पीढ़ी उस कर्जे से दबी रहती है। किसान जब पैदावार करता है और उसकी बाजार में बेचता है तो उसकी बड़ी मुक्किल से दो पैसे मिल पाते हैं। उसकी अपना

पड़ता है ग्रौर फंसने के बाद व्याज-दर-

च्याज बढता जाता है। उसकी स्थिति

बड़ी दयनीय हो जानी है। उसकी पीढ़ियां

भी उस कर्ज को नहीं चुका पाती। इसलिये

इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हं

कि आपको इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना

होगा जिससे कृषक अपनी भिम को गिरवी

न रख सके। येटी की शादी होने के साथ

साथ जब बेटी विदा होती हैं तो उसकी

भूमि भी विदा हो जाती है। बेटी की

शादी के लिए उसको किसी म किसी

साहकार से ऋण लेना पडता है और अपनी

भूमि गिरवी रखनी पड़ती है। वह भूमि कभी

कभी छुड़ा नहीं सकता। इस तरह का

प्रावधान होना चाहिए कि उसकी भूमि

गिरवी न रखी जा सके। जो पहले से

कानुन बना हुआ है उसके स.इड अफ्रेक्ट्स

हैं। गाँव में रुढ़िवाद भरा पड़ा है। गांव

के किसान को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के

के लिए, उसको बचाने के लिए या लोगों

के कहने पर इस प्रकार के रूढिवादी

त्तरीकों को विवश होकर ग्रपनीना पंडता

है। जैसे परिवार में कोई मर गया तो उसको

नुकता करना बहुत जरूरी है। कानून में इसकी

बाध्यता है लैंकिन इसके बावजूद भी वहां

40-40 गांच की, 25-25 गांव की 20-20 गांव को खिलाने के लिए विवश होना पड़ता है ग्रीर कर्ज के चंग्ल में फंसना पड़ता है। उसकी नुकता करना

पड़ता है और नतींजा क्या होता है कि

81

भी

ऋण पर

sixth Amendment) Bill 1990 उसकी पीढ़ी वर्बाद हो जाती है। उसकी लिये कार्य करने के जमीन विक जॉती है। उसकी जमीन ग्राधारित रहना पड़ता है। प्रीर जब बह ऋण लेता है तो उसको साहकार के चंगल में फसना पड़ता है । मैं यह ब्राग्रहकरूंगा कि लेड रिफार्म का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये । ऐसा तरीका निकालना पडेगा जिसमे किसान उस साहकार के चंगल से छटकारा पासके। किसान अपनी फसल पर निर्भर रहता है और फसल उसकी वर्षा पर निर्भर रहती है । मानसून एक तरीके से जुआ़ है। कोई भी किसान यह नहीं कह सकता कि उसकी ग्रगली फसल में कुछ पैदा -होगा या नहीं । किसान को विवश होकर साहकार के चंगल में फंसना

गिरवी रखी जाती है। उस किसान की सही माने में सम्पन्न बनाने के लिए. उसकी जमीन बची रहे इसके लिए इहि-वादी तरीकों पर पाबन्दी लगानी पडेगी। इसके साथ-साथ जो जमीन एलाट की जाती है वह कागजों पर ही एलाट की जाती है। लेकिन वास्तव में गरीब लोगों को उसका कब्जा नहीं मिल पाता । ग्राज भी राजस्थान में बीसों गांव में **मैं** जाता हं वहां पर बेचारे गरींब ग्रनसचित जाति, जनजाति के लोग कहते हैं कि हमें जमीन ता एलाट कर दी गई लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया गया । उस पर फलां या ग्रम्क ग्रादमी का, ताकतवर ग्रीर शक्तिशाली आदमी का कब्जा है। मैं यह कहना चाहता हं कि जो जमीन गरीब को ग्रावटित की जाय उस पर उसको ग्रधिकार दिलाया जाय, कब्जा दिलाया जाय। नेवल मात्र सरकारी ग्रांकड़ों के लिए कह देने से कि जमीन ग्रावटित कर दी गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बिल के सबंध में मैं यह कहना चाहुंगा कि कोर्ट केसेंज में किसान बरबाद हो जाते हैं। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट बनाये जायें श्रीर कोर्ट मौके पर जाकर स्नवाई करे और मामलों का मिपटारा करे। इससे किसान बर्खादी से बच सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हुं कि अभी मेरे पूर्व बक्ता ने भदान ग्रान्दोलन का जिक्र किया। लेकिन उस जमीन का भी पूरा आवंटन नहीं हो सका। मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री विनोदा भाव के भूदान आन्दोलन में जो जमीन मिली वह बौद मैं वावस ले ली गई। मैं कहना नहीं चाहतः था, लेकिन भदान आन्दोलन का जिक किया गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्मानीय राजा श्री विश्वनाय प्रताप सिंह ने भी भूदान श्रान्दोलन में भूमि दान में दी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने इसकी ,गलत बता कर और पागलपन का सर्टिफिकेट लेकर . . . (व्यवधान

श्री शंक दुर्वाः सिंह (विहस्तु) इनको संविद्यान संशीधन पर बोलना चाहिए

Bill. 1990

[श्री शंबार दथाल सिंह]
..(ज्यवधान) । इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ।

SHRI ABDUL SAMAD
SIDDIQUI (KARNATAKA):
Sir, this is baseless allegation.
This should be expunged. [Interruptions).

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA):

Mr. Vice-Chairman, Sir, let him confine himself to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Please confine yourself to the Bill. (*Interruptions*). Now your time is over. Please conclude.

डा० ग्रवरार ग्रहमद खानः माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। यह मेरे कहने की बात नहीं है। यह रिकार्ड पर मौजूद है। भ्राप इसको देख सकते हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पागलपन का सटिफिकेट लेकर उस जमीन को वापस लिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिकार्ड पर मौजद है। माननीय सदस्य ने भ्दान ग्रान्दोलन का जिन्न किया था,इसलिए मैंने इसको यहां पर कहा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमि आवटित की जाय वह किसानों के लिये उपजाऊ हो। लेकिन देखने में यह द्याया है कि सरकारी ग्रांकड़े फुलाने के लिये भूमि ग्रावंटित दिखाई जाती है । ग्राँर ऐसी भूमि श्रावंटित की जाती है जिसका कृषि से कोई लेनादेना नहीं होता है। किसान भूमि के मालिक तो बना दिये जाते हैं, लेकिन वास्तव में किसान उस भूमि पर हल नहीं चला सकता है और रत्ती भर उपज भी नहीं पैदा कर सकता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसी नूमि ग्रावंटित की जाय जो वास्तव में उपजाऊ हो। इसके साथ साथ में इस बात की भ्रोर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भूमि ऋषिटित की जाय तो उसमें यह ध्यान रखा जाय कि वन की किसी भमि को हाथ न लगाया जाय क्योंकि

वन का सीधा संबंध कृषि से है, वातावरण से है, इनवायरनमेंट से है। मैं इन सब वातों को कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो कानून यह ला रहे हैं भौर जिसका हम भी समर्थन कर रहे हैं उसको यदि यह सरकार वास्तव में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वास्तव में ग्रगर सरकार किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है, वास्तव में इसको इम्प्लीमेंट करके ग्रगर सरकार गरीबों को राहत पहुंचाना चाहती है तो इसके लिये सरकार के भ्रन्दर तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। वे तीन ची में हैं, करें म, करेक्टर और काफिड़ेंस। महोदय, ग्रगर ये तीन चीजें सरकार के के पास नहीं हैं, करेज, करेक्टर ग्रौर काफिडेंस तो मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि चाहे इस तरह के कितने ही कानुन यहां बना दिवे जायें, गरीब किसानों तथा निर्धनों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है। यह क्यों नहीं पहुंच सकता ? मैं ब्रापके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह इसलिये नहीं पहुंच सकता क्योंकि जो धूमि है, जो जमीन है, भ्राज वह राजा-रजवाड़ों के पास है, बूजीपितवा के पास है, सामत-वादियों के पास है। जिसको बिना करेज, करेक्टर ग्रीर कांफिडेंस के यह सरकार बापस नहीं ले सकती है। इसके बिना यह सरकार गरीबों को उनके ग्रधिकार नहीं दिला सकती है। तो सरकार को करेज करेक्टर फ्रीट क फिडेंस से काम करना चाहिये। बरना सरकार गरीबों को उनके ग्रधिकार नहीं दिला सकती है। ग्रगर यह सरकार इस बिल के माध्यम से कोई राजनैतिक लाभ लेना चाहती है तो मैं ग्रापके माध्यम से कहना चाहता हं कि यह बिल कांग्रेस के समर्थन से ्पास हो रहा है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति का बिल पास हुआ है वह भी कांग्रेस के समर्थन से पास हुन्ना है। विपक्ष में रहते हुये क ग्रेस का इनका समर्थन करना यह इस बात को प्रतिपादित करता है कि कि कांग्रेस गरीब, निर्धन भ्रौर भ्रन्सुचित जातियों के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। चाहे इससे रामधन को लाभ पहुंचे चाहे किसी को पहुंचे । यह कांग्रेस की नीति है, रीति है। सरकार को इस

85

THE VICE CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) D. Sivaji.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Padesh) : Sir. the learned Member.... {Inter-ruptions}.

SHRI M.M. JACOB: Sir, we have agreed for voting at 2.30 p.m. I do not mind if you allow more speakers. But in that case, one or two speakers may be allowed subsequently from this side also. I want to make it very clear. We have agreed for voting at 2.30 p.m. If you undertake more speakers, then I will be compelled to add one or two speakers from this side. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI problem M.A. BABY) : The only is that there are parties which have not participated, far. Kindly undertake that.

SHRI M.M. JACOB: But they are constituents of the National Front.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): But they are parties having separate entities. I will allow one from each party not represented so far.

SHRI KAMAL MORARKA: How many speakers are there still?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): From the Opposition side many people have spoken. Please cooperate. We have already fixed it for 2.30 p.m. He will take 10 or 15 minutes more. (Interruptions).

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, then you fix the time at 2.45 p.m.

sixth Amendment) Bill 1990

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: The learned Member Mr. Madhavsinh Solanki from the other side has said in the course of this speech that this Government is not serious and the Eighth Plan Draft does not say anything about land ceiling. I would like to quote from the Approach to the Eighth Five-Year Plan.

"Steps will be initiated to review and reformulate the land legislations and ensure effective implementation. inclusion of land reform laws in the Ninth Schedule of the Constitution is a step in this direction. Land reforms should encompass various aspects of land relationships, such, as homesteads, consolidation of holdings, land ceilings and distributions of surplus and including land at the disposal of the Government.

So far as tribal lands are con-cerned, there should be prohibition on its sale or transfer to non-tri-bals. In the content of land reforms, proper maintenance and improvement of land records assume added importance."

Another Member from the other side also said that Mrs. Gandhi withdrew the right to property from fundamental rights. But I would like to clarify that it was the Janta Government which, during 1978, with the Forty-Fourth Amendment, withdrew the right to property from fundamental rights. The Congress since 1936 from the Gaya AICC enunciated time and again, and day in and day out, about land ceilings and land to the tiller and this and that, but at no time they are serious about implementation of the land ceiling acts. There is no other area where such a gap exists between profes-sion and implementation, between

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

word and deed as in the area of land ceiling.

It is the responsibility of the Congress Government. Since the last 40 years several laws have been passed, several laws are enac ted in various States about land ceilings. By 1987, about 169 laws were Included in the Ninth Schedule, but at the same time they were executed more in violation than in mplementation. It is just like anti-Dowry Act, anti-Corruption Act, Untouchabi-lity Act and anti-Prohibition Act; all these acts are also executed more in violation than in implementation. Out of 16 lakh hectares declared so as surplus, only 45 lakh hectares have been distributed so far and the rest of the land is still lying with the landlords and legal battles are going on in various courts-Meanwhile, these Special Officers with executive powers like Land Ceiling Officers, Vakils, Government pleaders and Village Officers are having a field day and they are using the Land Ceiling Act for Divorces, adoptions violation. agreements take ' place, that too on old documents, that too to violate these lands. So what I would like to mention here is that simply adding these acts including 54 acts in the Ninth Schedule is not enough and I would, like to suggest to the Government that under article 323 B, special tribunals should be set up; to see tb^t all these Land Ceiling Acts are implemented, both in letter ajid in spirit.

SHRI N.E. BALARAM

(Kerala): Sir, I am only *Talking* my point. I support the Bill. The intention of this Bill is very clear: to bring a large number of land reforms acts under the purview of the Ninth Schedule with some constitutional safeguards. But my fear is —I am saying" this out *of* my ex-perleafce—thatsvefi thougfi aQ these land refbrms acts are br&uglif unde?

the purview of the Ninth Schedule, Schedule, I think, litigation will continue as long as article 226 exists in the Constitution. It is there in the Constitution.. Now article 226 is being widely used in all the States by the landlords¹ and they are approaching the High- Court and in Kerala, according to my informa-tihn, there are about three thousand petitions pending in the High Court. This is not the question of Kerala alone; I am told, in Bihar thousands of petitions are before the High Court and we have given protection to all these Land Reforms Acts by keeping them under the Ninth schedule. Even though landlords are using this particular article, article 226 and so many cases are pending before the court. I am not criticising the Courts and that is not my purpose. But the cases are going on for the last few years. For instance, when the entire private lands were taken over by the Kerala Government, a large number of petitions were submitted to the Kerala High Court by the landlords. Now, forests are under the control of the landlords. But nothing has been done and the cases have been going on for the last ten or eleven or twelve years. I do not know what the way out is. I am only posing a problem. We should not be under any illusion that pnpe we include all these A'cts in the Ninth, Schedule we can immediately implement the , landreforms. It cannot be done. THat is the point that I want to make. I do not kn^w'wnat the way but is. I have¹ goii intb\'this problem and I tried to get some legal opinion. I understand that sonie suggestions are coming up that if We are" going to bring, forward any land reform legi^atiitJTj; th^, if we s^elfup special tribunals, as Dr. Sivajt has suggested, under article, 323, then there win* be some hope. It is said that in th^t even we c^ti implement land reforms as quickly as possible, But this is to' be demS by the Government. Otherwise¹] we will

only talking about land legisla-tion. There am several reasons for the nonimplementation of land reforms. I can cite one example. In all the Left Front-led States—I am not introducing politics here; but this is a fact-land reforms were implemented in a much better way than in many other States. This is a fact. But even then, even in those States, this difficulty is there. I am not saying that we should remove article 226 because it is a right and it has a wide scope and T do not know how we can get out of the trouble. But it is there. If the Government is thinking about implementing land reforms, my suggestion would be that it must take into consideration all these problems and a number of steps are to be taken in this regard. Review or revision of the land re form Acts, screening of the entire revenue system, all these are needed. You' can definitely implement the land reform Acts. I am under no illusion that all these land reform Acts will be implemented. But my only point is that this particular article is there in the Constitution and that article, as it exists today, poses some problems. That is all. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MA. BABY): Now. Mr. Solanki.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, will you allow me to make only one sentence?.. (*Interruptions*).. I will say what I want to say only in one sentence,.. .(*Interruptions*),..

Sir. putting the land reform Acts in the Ninth Schedule makes no difference at all until and unless you amend your land laws them-, selves. Every single landlord in the country contravenes the provisions of land ceiling Acts because of the existence of the clause that all transfers before a certain date will be counted as genuine, those transfers which are proved to be genuine to the satisfaction of

the Land .Ceiling Officer And, who is. the Land , Ceiling. Officer? He is the one who is on the spot. So, I may inform the House that lakhs and lakhs of acres of land have been kept out of the purview of the land ceiling legislation by this device and there is not a single State which has an Act without this clause.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mr. Gopalsinh Solanki. Only two minutes, please.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Sir, I am the only one from my party. I request you to give me a little more time.

While supporting this Bill I would like to submit that .there, are three kinds of classes in the society. The first is the creative class, the second the appreciative class and the third the cynical—the class which criticises. It is as the third quality that this Government has introduced this Bill. So far as creation is concerned, the Ninth Schedule was created in the Constitution in 1951 and since then the Govern- ment has been trying to give benefit to the poor and landless people. In 1951 Jawaharlalji had also said that mere passing of the Constitution Amendment and creating the Ninth Schedule would mean nothing to heal the injuries of the common class people, of the labour class people. Unfortunately the past Government could not imple ment the land reform legislations and thus it has disappointed and disillusioned the of India who will not pardon it. The se cond is this Bill covers twelve States and five subjects like te-nancy laws, land ceiling, etc. But then mere introduction and passing Qf this Bill alone will not serve the purpose if this legislation is not implemented and implemen ted immediately and effectively. The torture of the poorer classes of society, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. of the landless people, by

[Shri Gopalsinh G. Solanki] land lords and the bureaucratic people still continues. The landlords purchase the lands of the poor people including the lands of the Adivasis and again sell them and make money for themselves. Thus the poor are becoming poorer and the rich are becoming richer. (Time bell rings) Therefore, in this Bill it is also necessary to include the Consolidation of Holdings Act and mike it uniform throughout the country. Further I would like to say that this Bill benefits 1 crore 23 lakh litigants who are engaged in legal battles. (Time-bell rings) Ten per cent of those cases are land litigation cases. I am concluding, Sir. Therefore, it is necessary to introduce and pass this Bill. I support this Bill.

PROF. SOURENDRA BHAT-TACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I support this Bill. But while supporting this Bill I would repeat, as quite a number of other Members done, that mere legislation is not enough. Putting these Acts Ninth Schedule only means making them nonjusticiable. But in the ultimate analysis nothing is non-justiciable and the Suprene Court may always intervene. Therefore, that difficulty will not be there always. But there is another aspect. During the Congress regime, it was pointed out by many, 162 land legislations were put in the Ninth Schedule. All the legislations put in this Schedule so number 202 of which 162 are land legislations. But we know what has been the progress of land reforms in most of the States in the country. Land reform has actually been treated as untouchable. long as that position does not change, mere putting these land legislations in the Ninth Schedule won't do. I remember when the United Front Government came being in West Bengal, a point that was made so forcefully was that not by mere legislation but by the struggle of the peasants

the land reforms can be made effctive. These aspects must be kept in view. (Time bell rings)

The intention that has been declared by this Bill has to be put.-into action and has to be backed by the struggle of the peasants. If this is not possible, the purpose of the Bill cannot be served. Thank you.

SHRIMATI **BIJOYA** CHAKRA-VARTY (Assam): Sir, without land the human life cannot survive. For effective land reform it is necessary to plug all the loop-holes. In this connection, I would like to suggest a few points.

It is because of the landlords that the land given to the Harijans cannot be owned or enjoyed by them and they become bonded. That is why I suggest that a provision should be there to plug the legal loopholes and a quick disposal of civil cases must be done protection should be given to the people who get possession of the land.

With these few words, I support the

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Kumari Chandrika Kenia. Please emulate Shrimati Bijoya Chakravarty.

CHANDRIKA KUMARI PREMJI KENIA (Maharashtra): I take your advice. But give me at least two minutes.

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश ामहात्मा गांधी जीने कहाथाकि ग्रगर नही मायनों में भारत देखना है, असली भारत देखना है तो हमें गांवीं ं जाना पड़ेगा । पंडित नेहरू जी ने भी यह बात इस प्रकार से कही थी-भारत माता क्या है, जहलहाते बहते पानी श्रीर हिमालय की ऊंचाई से ही सिर्फ भारत का दर्शन नहीं होता है, यहां के लोग हैं, भारत की जनता वह भारत की ग्रात्मा है। यह बात पंडित नेहरू ने कही थी। लेकिन भारत का किसान क्या कह रहा है, वह मैं ग्राथको बताना चाहंगी। किसान कह रहा है: मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरहें बसर हमने जिन्दगी कर ली।

मान्यवर, ग्राज इस भारत-पुत्र, किसान-पुत के घर में शा**यद विशाय न** जलते हों, दीप प्रज्वल्लित न होते हों, लेकिन यह एक स्नहरा अवसर, सुनहरा, मौका भारत सरकार दे रही है, करोड़ों किसान-पुत्रों को सरकार सहारा दे रही है इस संक्षोधन के माध्यम से धौर इसमें कहा कि कान्न को यह हक नहीं होगा, भदालत को यह हक नहीं होगा कि बड़े बड़े जमींदार उनका उपयोग करें. जहां तक भूमि मुधार का सवाल है।

मान्यवर, जमींदारी प्रथा खतम कस्ले की घोषणाको कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहंगी कि ग्रब तक यह जमीदारी खतम नहीं हुई है, फ्यू-डिलिज्म का जो कब्जाहै, वह सभी लक चैसे का वैसा बना है। हम सामाजिक, धार्थिक भौर राष्ट्रीय **न्या**य की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, ·संविधान में भी यही बात बताते हैं, लेकिन असल में यह समानता कहां हैं? यह मैं ग्रापसे पूछना चाहूंगी। ग्राज भी मां-बहनों की इज्जत लुटो जा रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आरज भी गरीब के हाथ से रोटी छीनी जा रही है, उसका शोषण हो रहा है, उसके पीने के लिये पानी नहीं, उसकी झोपड़ी में अंक्षकार है। मैं यह कहना चाहुंगी कि गरीबी से वड़ा श्राप ग्रीर कोई श्राप नहीं हो सकता है, गरीबी से बड़ा अपराध नहीं हो सकता है, गरीबी से बड़ा अंधकार नहीं हो सकता है। हमको चाहिये कि हम इस श्राप को मिटायें. इस अधकार को मिटायें . . . (समय की बंटो)

मान्यवर, रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने कहा है – हम सुरज की तरह प्रदीप्तमान तो हो नहीं सकते हैं, पूरे विश्व को तो प्रकाश नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि छोटा सादीया बनकर हम ग्रयने इर्द-गिर्द का श्रंधकार दूर करें । तो आज हम इस स्नहरे मौके पर, जबकि भारत के संविधान का संशोधन हो रहा है छियासठवें संशोधन विधेयक के द्वारा ग्रौर इसके द्वारा बहुत सारे कानुन हम नाईन्य गोडयुल से डाल रहे हैं ताकि न्यायालय था प्रदालत के दरवाजे बड़े-बड़े जमींदार

है खटखटा सकें, हम यह दचन लेतव हम छोटे से दिये बनकर गरीकों की भोपड़ी में श्रंघकार दूर करेंगे। धन्यवाद।

Bill 1990

थी ग्रामन्द्र प्रकास गौतमः (उत्तर प्रदेश) : म्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 66वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, बहुत दिनों से यह बात कही जा रही है, आज से पहले भी जो सरकार शासन में रही है, उनके नेता भी कहते रहे हैं कि खेत जोतने वाले को खेत मिलेगा । हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसको बहुत जोरों से कहा कि हम खेत जोतने वाले को सही मायनों में खेत उपलब्ध करा सकेंगे । . . . (समय की घंटी)

महोदय, यह जो संविधान संशोधन विधेयक भाषा है, इसके माध्यम से 9वीं सूची में जो भूमि सुधार के क*ान्*नों को डालने की बात कही गई है, निश्चित ही ग्राज की समय की मावश्यकता के मनुसार यह एक ग्रावश्यक कदम था जिसको इस सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उठाया है। पिछली सरकार बहुत दिनों से शासन में होते हुए भी, नारों को बार-बार दोहराते हुए भी आज तक सन्ही मायनों में गरीब को भूमि नहीं दे सकी। निश्चित ही इसके पीछे मैं समझता हूं कि उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं थी।

महोदय, मौजदा बिल के बारे में हमारे साथियों ने कहा कि इस बिल में कुछ है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चे की अभी इतने थोड़े दिनों की सरकार, हो सकता है कि इस विला में कुछ न हो अभी, लेकिन इस सरकार के दिल में क्या है, यह इससे साफ जाहिर होता है। . . (व्यवधान) . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You have made your point very effectively. Please conclude now.

डा. रस्नाकर पाण्डेय : दिल किस मायने में कहा है इन्होंने।

श्री मानन्द प्रकाश गौतनः मैं कहा रहा हूं। मैं बता रहा हूं। यहां साफ जाहिर होता है, इरादे से पता चलता है कि जो 40 बरस तक सत्ता में बैठा रहा हो और उसके बाद भी ग्राज अगर कमजोर हाथ में जमीन नहीं, कागज का

श्रिं। ब्राचन्द प्रकाश गीतम्।

'टुकड़ा लिए घूम रहा है, उसको यह सर-कार सही मायनों में जमीन उपलब्ध कराना चाहती है। मैं यह चाहता हूं कि कागज के टुकड़े से महीं बल्कि जमीन देने से उसके सही इरादे का पता चल सकता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहंगा (समय की घंटी) . . . कि इसके साथ ही हम इसमें ऐसे कानुनों का भी विधान करें जिससे सही मायनों में हम उसकी मदद कर सकें ब्रांर मेरी श्राशा व उम्मीद है कि वर्तमान सरकार उन गरीबों को जमीन देकर के उन्हें भा*र*त माता के एक खेत जोतने वाले किसान के रूप में बना सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद । 3.00 Р.м.

श्री विद्रलभाई मोतो ए।म पटेलः (गुजरात) उपसभाष्यक्ष जी, मैं ऐसी बातें कहना ्चाहता हं जो मंत्री जी कर सकते हैं क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के हाथ में है, ग्रापके हाथ में नहीं है लेकिन एक चीज श्राप कर सकते हैं। महोदय, ग्राज 1 करोड़ 23 लाख केस लैंड डिस्प्यूट के पड़े हुए हैं। स्राप स्पेशल कोर्टएप्वाईट करके ये केस जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। वह काम ग्राप ग्रगले मंडे तक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि 78 लाख एकड़ लैंड सरप्लस निकाला गया है, उसमें से 42 लाख एकड़ जमीन डिस्ट्रीब्यट कर दी गई है बाकी जो 36 लाख एकड़ जमीन बची है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। यह काम दो-तीन महीने में हो सकता है। इसको ग्राप कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि उपेन्द्र जी मुनिए, यह आपके लिए हैं। आप तो भूमिहीनों का भला करना चाहते हैं लेकिन थी उपेन्द्र जी उनका बुरा करना चाहते हैं। वह टी बी० पर ग्राजकल "जमीन" नाम का एक सीरियल दिखा रहे हैं। उसमें जमींदार लोग गुंडागर्दी करके गांव के छोटे-छोटे किसानों की जमीन छीन लेते हैं, उसको मार देते हैं और वह भूमिहीन किसान कुछ नहीं करपाता। तो जो भूमिहीन लोग हैं उनका मनोवल खत्म करने का काम ऐसे सीरियल करते

हैं.. (स्यवधान)

डाः रत्सकर पाण्डेय : पटेल जी, उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे ।

कुमारी सईदाखातुनः उत्तर प्रदेश महोदय, मैं विधवा ऋौरतों की जमीन के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं.. (व्यवधान) विधवा ग्रीरती की जो जमीन है . . (स्यवधान)

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): You have not been permitted to speak. Please-take your seat. (Interruptions) Please take your seat. Yes, Mr. Minister.

श्रा उपन्द्र नाथ समा: महादय, इसस पहले कि मैं कुछ कहं, मैं उन सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए, प्रकट करता हूं। उन लोगों ने बहुतं से ग्रन्छे सुझाव दिए हैं। माननीय सोलंकी साहब ने जो कुछ कहा, उम मैं बहुत गौर से सून रहा था। दसरे सदस्यों ने भी जो कुछ कहा, उसे भी मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैं यह जानता हं कि सोलंकी साहब गांवों के बारे श्रन्छी तरह से जानते हैं, सोलंकी साहब गांव वालों को जानते हैं और उनकी समस्यायों स वाकिफ हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सदन के अनेक सदस्य गांवों की समस्याओं को ग्रच्छी तरह से समझते हैं। मैं भी गांबी को जानता हु, ग्रन्छी तरह से जानता हूं, गांव का रहने वाला है, गांजों में घुम चका है भीर सारे देश में किसान सगठन के सिल-सिले में भझे धूमने का अवसर मिला है। मैं भ्रवनी ग्रांखों ने ग्रसलियत को सच्चाई को, वास्तविकता को देख चुका हूं और गांव के दर्द की अच्छी तरह से समझता

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के पास होने से बोई बड़ा इंकलाब हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के पास होने से विल्कल परिवर्तन हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के पास होने से जो पुराना स्लोगन है पंडित नेहरू के जमाने से-लैंड ट्रू दि ट्रिटलर, वह मामला हल हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता । मैं सिर्फ इतना ही कहता है

कि इस वि**धेय**क से राहत मिलेगी । इस विधेयक से लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें कोर्ट मे जाना पड़ता है ग्रौर परेशानी उठानी पड़ती है । मैं इतना ही कहंगा कि हमारे मिलों ने बहुत सी बातें कही हैं और मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन भारत की स्थिति और देशों से भिन्न है।

[उपसभापति पीठाहीन हए]

महोदया, हमारे मिल्रों ने कहा कि यहां जमीन के टुकड़े हैं, सही बात है क्योंकि हमारे देश में जमीन कम है, आदमी ज्यादा है। दूसरे देशों में जैसे रूस में जमीन व्याद। है, स्रादमी कम हैं। स्रमरीका में जमीन ज्यादा है. ग्रादमी कम हैं। ग्रमरीका में 94 लाख वर्ष किलोमीटर जमीन है ब्रौर उसकी ब्रावादी 24**–2**5 करोड़ की है। रूस में जमीन 224 लाख वर्ग किली-भीटर है और उसकी आबादी करीबन 29 करोड़ की है। लेकिन भारत में जमीन सिर्फ 32 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है और जनसंख्या 80 करोड़ 50 लाख की है। हमारे यहां जमीन कम है श्रादमी ज्यादा हैं। जब कि ग्रन्य देशों में जमीन ज्यादा है, श्रादमी कम हैं और जब हमारे यहां जमीन कम हैं तो ऐसी हालत में जमीन की भूख भीर बढ़ती जा रही है. तेजी से बढ़ती जा रही है यदि कानुन के सहारे यह मामला हल नहीं हुआ तो यह मामला तो हल होगा ही, हम करें या नहीं, लेकिन मामला हल होगा, आज नहीं कल होगा, परसों होगा, इसे अब कोई रोक नहीं सकता है, यह रकने वाला नहीं है। ग्राप इसे सोचें कि पंडित जबाहर लाल नेहरू के समय से ही जमीन जोतने बालों को मिलनी चाहिए कहा जा रहा है लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है। (ब्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेम : पोंइट ग्राफ ग्रार्डर ।

उपसभापति : क्या पोइट ग्राफ ग्रार्डर है?

डा० ्रमाहर पण्डिय : उप सभापति महोदया, मली जी ने ग्रपने वक्तव्य में कहा है कि हम जमीनों के संबंध में सुधार करने में कोई भी कमी नहीं लायेंगे। मैं श्रापके माध्यम से मानतीय मती जी से जानना चाहता ह .. (व्यवधान) 243 R.S.--4.

उपसभापति: यह पोइंट ग्राफ ग्राईर नहीं हुन्ना, बैठ जाईये।

डा॰ रहनाकर पाण्डेय : श्री बी०पी० सिंह, प्रधान मंत्री ने राम-जानकी ट्रस्ट ग्रौर दहिया ट्स्ट के नाम पर चासठ सौ एकड़ जमीन पर कब्जाकर **रखा** है (व्यवधान)

उपसमापति : यह पोइट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: उस जमीन को . . (ब्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्माः महोदया, मैं यह कह रहा था कि हमारी नीति रही है . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : यह पोइट ग्राफ ग्रार्डर ਬੈਠ है ग्राप This is not a point of order. It is overruled. Please take your seat.

डां॰ रत्माकर पांड्येय : ग्राप श्री बीठ पी_े सिंह के खिलाफ . . (ब्**यवधान**)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदया, मैं यह कह रहा था कि कहीं ने कहीं तो खामी है, कहीं न कहीं तो कमी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है, नीति है उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि ग्राज से तीन साल पहले एक मुख्य मंत्री ने कहा कि पैतीस हजार एकड़ जमीन बांट गया जिले में कागजी बटवारा हुआ ग्रीर 25000 पर्चा रह करना पड़ा । . . (व्यवधान) इसलिए मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं..(**व्यवधान**) भ्रापको प्रस्ताव कर रहा हूं कि इसे पारित करें, पास करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN:

I shall now put the amendment of Prof. Chandresh Thakur for reference of the Constitution (Sixty-sixth Amendment) Bill to a Select Committee of the House, to vote.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR Madam, I want to speak.

Land reforms is a very important item. I appreciate that the Government has decided to include these legislations in the Ninth Schedule of the Constitution. But I must sav that this orooosal to amend

the Constitution is a hypocritical move. (Interruptions) Of course, the Bill will certainly be claimed as on on more progressive step by the Government. But the important question is, will it assure additional land to a large number of people? Let me add here. Since Vermaji mentioned that he comes from a rural area, and for the purpose of reference to the Deputy Prime Minister, I must go on record that I also come from a village. I belong to a genuine rural stock. In view of the fact that there may be a change in the pattern of the Government, this identity may turn out to be important for me.

I would like to point out one important aspect to the hon. Minister. The Minister must know. On the one hand, we are trying to implement land reforms. But whatever may be the progress made in regard to implementation of land ceiling laws and distribution of land, there is a simultaneous probleni of further alienation from land: second round. Hundreds of thousands of people who got land have lost their land, or, they have not been able to retain them. Therefore, the question is not distribution. or, the declaration of intent of distribution. The question is, how, do we provide teeth so that its process of implementation is accelerated? In this context, the basic reason why I have suggested that it should go to the Select Committee is, how to ensure ascce-leration of its implementation. We have a provision here. As of today, agriculture is in the State sector. The implementation is at that level. This Constitutional Amendment is going to provide non-justiciability of that, but if the intention is to accelerate the process, we should provide teeth at the Central level so, that it can overcome recalcitrants resistance from States where there is no intention to implement it. There is a precedent here. The Urban Ceiling Act has been brought within the Central jurisidction by the States authorising the Centre to."taact this kind of a legislation and,

then give it the power to implement it. My submission to the Government is that if it is really honestwith regard to the process of enforce ment of land ceiling and distribution of land to those who do not have land, then it should follow the same pattern, bring agricultural land on the Concurrent List and ensure that at least majority of the States authorise the Centre to legislate on land reforms, so that implement ation can be accelerated through the administrative process at the disposal of the Central Government. This is a test of honesty. If it is going to be a real progress with regard to the declared intention, the Government should accept that. Let us also face the situation that land is an important asset, but this is not the only asset with the society. If you are professing socialist society socialist justice requires equity across all forms of holdings. Urban land is as much a process of holding as the agricultural land. Similarly, industrial ownership is a much an asset and perhaps sometimes more lucrative asset. Economic studies and technological studies show that

agricultural operation is neutral to scales. A

small holding can give production activity.

Still infra structure deficiency in an entirely

non- green revolution region ensurres that

the land will never be a pro duction asset.

This is one of the- principal reasons why

further aliena tion, first round, sedond round

and third round, is taking plare. People are

getting land and running away, either

mortgaging it or selling it, because

infrastructure is deficient cr supplementary

Bill 1990

THE DEPUTY CHAIRMAN:

You give the reasons why you want the Bill to be referred to a Select Committee. Please be brief.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: There are several clear reasons. Firstly, I am trying to suggest a route through which the Government can pursue its intention honestly, that is, adopt the urban land? ceiling process, by bringing agricul-

SHRI P. UPENDRA: I have not fielded anybody. They have come in their own right. (Interruptions)

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Madam, I would not like to imposte my thoughts on Shri Upendra. He can have his own choice.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Whether Mr. Upendra fielded that beautiful lady or not but that lady is beautiful, we should accept that.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: That I accept.

SHRI P. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Is 'beautiful' an unparliamentary word?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: What I am trying to suggest is that land should go to the tfller of the land. What is more important, the land records are hot there. If the records are prepared, you heard about the frauds and all those things. So, how do we updaim it?

sixth Amendment) BiI7. 1990

Then, after that if we give land, how do we provide the supplementary support in terms of credit, in terms of fertilizers and other kinds of things? So, if the Government wants these kinds of things, it requires a dispassionate decision of a group of people who have experience, who have different points of view, and then only it can provide a kind of social justice to the tiller of the land as well as those who are dependent on non-land holdings in the society, whether it is urban property or, like my friend, Mr. Viren Shah has, industrial property. So, that kind of an equity must be brought about.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Are you pressing your amendment or withdrawing it?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: the Minister assure (Interruptions)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्माः मेरा निवेदन कि माननीय सदस्य ग्रपने एमेंडर्नेट ले लें। जहांतक उन्होंने ग्ररबन सीलिंग की बात कही है, प्ररबन लोग विचार करने सीलिंग हम जा रहे हैं, 11 तारीख को चीफ मिनि-बैठक होगी। मैंने पहले ही स्टरों िकिहम दुविधा से या स्पष्ट कहा ग्राधे मन कोई काम नहीं करना मन से करना चाहते चाहते प्रस्ताव करता हं कि हैं । इसलिये एमेंडमेंट दिया है, कुपया जो उसको वे वस्पस ले लें। .. (ब्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Are you withdrawing your amendment or pressing it?

PROF. CHANDRESH P, THAKUR: Madam, the power behind the throne is the kulak class. Are you persuaded that they will really abide by the intentions of the Government? Will the Deputy

sixth Amendment) Bill 1990

Prof. Chandresh P. Thakur] Prime Minister declare how much surplus land he has and will be distribute that land? Will other Ministers from that Government declare what is their surplus land and will they distribute that? That is the whole question. (Interruptions)

Madam, assuming that they have a consensus still left, I withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Now I shall put the motion regarding consideration of the Constitution (Sixty-sixth) Amendment Bill,

1990 to vote(Interruptions)..

Please, why are you disturbing when we are taking up the Bill for consideration? .(Interruptions).. I say, please don't disturb. Anybody who disturbs, I will ask him to leave the House. Please do not confuse the Chair. Please take your seats.

Under article 368 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a mojority of the total membership of the House and by a mojority of not less than two-thirds of the Members of the House present and voting.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes-177

Noes-Nil.

- Afzal, Shri Mohammad
- Agarwal, Shri Lakkhiram
- Agarwal, Shri Ramdas
- Ahluwalia, Shri S. S.
- Alia, Kumari
- Alva, Shrimati Margaret

- Amin, Shri Mohammed
- Amla, Shri Tirath Ram
- Ansari, Shri Mohammed Amin
- Ashwani Kumar, Shri Aurora, Sardar
 Jagjit Singh
- Azam, Shri Ghufran
- Azmi, Maulana Obaidullah Khan
- Baby, Shri M.A.
- Bagrodia, Shri Santosh
- Bakht, Shri Sikander
- → Balanandan, Shri E.
- Balaram, Shri N.E.
- Barongpa, Shri Sushil
- Basumatary, Shri Amritlal
- Basu Ray, Shri Sunil
- Bekal Usahi, Shri
- Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
- Bhardwaj, Shri Hansraj
- Bhatia, Shri Madan
- Bhatt, Shri Jitendrabhai
 Labhshanker
- Bhattacharjee, Prof. Sourendra
- Biswas, Shri Debabrata
- Buragohain, Shri Bhadreswar
- Chakravarty, Shrimati Bijoya
- Chanpuria, Shri Shivprasad
- Chaudhary, Harmohan Singh
- Chaudhuri, Shri Tridib,
- Chavan, Shri S.B.
- Chowdhary, Ram Sewak
- Chowdhry, Hari Singh
- Chowdhury, Shrimati Renuka
- Das, Shrimati Mira
- -...' Dave, Shri Anantray Devshanker

- Deepak, Shri Krishan Kumar
- Desai, Shri Jagesh
- Dhawan, Shri R.K.
- Faguni Ram, Dr.
- Fernandes, Shri John F.
- Fotedar, Shri Makhan Lal
- Gaj Singh, Shri
- Gandhi, Shri Raj Mohan
- Ganesan Shri R. alias Misa R. Ganesan
- Gautam, Shri Anand Prakash
- Ghosh, Shri Dipen
- Gopalsamy, Shri V.
- Goswami, Shri Dinesh
- Goswami, Shri Ramnarayan
- —. Gurupadaswamy, Shri M.S.
- Hanspai, Shri Harvendra Singh
- Hanumanthappa, Shri H.
- Hariprasad, Shri B. K.
- Hashmi, Shri Shamim
- Jacob, Shri M.M.
- Jadhav, Shri VithalraoMadhavrao
- Jogmohan, Shri
- Jain, Dr. Jinendra Kumar
- Jaiswal, Shri Anant Ram
- Jani, Shri Jagadish
- Javali, Shri J.P.
- Jogi, Shri Ajit P. K.
- Kailashpati, Shrimati
- Kakodkar, Shri Purushottam
- Kalita, Shri Bhubaneswar

- Kalmadi, Shri Suresh
- Kalvala, Shri Prabhakar Rao
- Kar, Shri Narayan
- Kenia, Kumari Chandrika
 - Premji
 - Khan, Dr. Abrar Ahmed
- Khaparde, Miss Saroj
- Khatun, Kumari Sayeeda
- Kiruttinan, Shri Pasumpon Thai
- Kore, Shri Prabhakar B.
- Lather, Shri Mohinder Singh
- Ledger, Shri David
- Lenka, Shri KahnU Charan
- Lotha, Shri Khyomo
- Madhavan, Shri S.
- Madni, Shri Maulana Asad
- Maheshwari, Shrimati Sarala
- Maheswarappa, Shri K. G.
- Malaviya, Shri Radhakishan
- Malaviya, Shri Satya Prakash
- Maran, Shri Murasoli
- Masodhkar, Shri Bhaskar Annaji
- Mathur, Shri Jagdish Prasad
- Md, Salim, Shri
- Meena, Shri Dhuleshwar
- Mehta, Shri Chimanbhai
- Mishra, Shri Shiv Pratap
- Mohammad Yuuus, Shri
- Mohanty, Shri Sarada
- Mohapatta, Shri Basudeb

- Morarka, Shri Karnal

Mukherjee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy

Naik, Shri R.S.

— Nallasivan, Shri A.

Narayanasamy, Shri, V.

Pachouri, Shri Suresh

Padmanabham, Shri Mentay

— Palaniyandi, Shri M.

- Pandey, Shrimati Manorama

Pandey, Dr. Ratnakar

— Panwar, Shri B. L.

Parmar, Shri Rajubhai A.

- Patel, Shri Chhotubhai

— Patel, Shri Vithalbhai M.

- Patil, Shrimati Suryakanta

--- Patil, Shri Vishwasrao Ramrao

Puglia, Shri Naresh C.

- Rafique Alam, Shri

Rahman, Shri Mohd. Khaleelur

Rai, Shri Ratna Bahadur

- Raja Ramanna, Dr.

Raju, Shri J.S.

Rao, Shri Moturu Hanumantha

- Rathwa, Shri Ramsinh

Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan

Reddy, Dr. Narreddy Thulasi

- Reddy, Shri T. Chandrasekhar

- Sahay, Shri Dayanand

Sahu, Shri Rajni Ranjan

Sahu, Shri Santosh Kumar*

Bill 1990

Saikia, Dr. Nagen

Saive, Shri N.K.P.

— Samantaray, Shri Pravat Kumar

- Sanadi, Prof. I. G.

- Saqhy, Shri T.A. Mohammed

- Sarang, Shri Kailash Narain

Satya Bahin, Shrimati

Sen, Shri Ashis

Sen, Shri Sukomal

Shah, Shri Viren J.

Sharma, Shri Chandan

Sharma, Shri Krishan Lal

Sharma, Shri Satish Kumar

Shiv Shanker, Shri P.

- Siddiqui, Shri Abdul Samad

Singh, Shri Digvijay

— Singh, Shri K.N.

Singh, Shrimati Pratibha

— Singh, Dr. Rudra Pratap

- Singh, Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender

Singh, Shri Vishvjit P.

— Sivaji, Dr. Yelamanchili

— Solanki, Shri Gopalsinh G.

- Solanki, Shri Madhavsinh

- Som Pal, Shri

Shreedharan, Shri Arnagti

Sushma Swraj, Shrimati

— Swell, Shri G.G

Talari Manohar, Shri

— Thakur, Prof. Chandresh P.

— Thakur, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Surendra Singh

- Tharadevi, Shrimati D.K.
- Tiria, Kumari Sushila
- Topden, Shri Karma
- Trivedi, Shri Dineshbhai
- Tyagi, Shri Shanti
- Upendrai Shri Parvathaneni
- Vajpayee, Shri Atal Bihari
- Veerappan, Shri K.K.
- Venkatraman, Shri Tindivanam G.
- Verma, Shri Ashok Nath
- Verma, Shri Kapil
- Verma, Shrimati Veena
- Verma, Shri Virendra
- Viduthalai Vjrumbi, Shri S.
- Yadav, Shri lsh Dutt
- Yadav, Shri Ram Naresh
- Yadav, Shri Ranjan Prasad
- Yonggam, Shri Nyodek

Noes-Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

We shall now take up clause-by-clause consideration.

Clause 2-Amendment of the Ninth Schedule.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Clause 2. There is one amendment by Prof. Chandresh P. Thakur.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Madam, I move:

"That at page 4;after the last

sixth Amendment) Bill 1990

following Explanation be the line inserted, namely:-

Explanation 1. To avoid any procrastination it is hereby declared that the Government shall enact and enforce the law on ceiling on land, ceiling on land holdings on a time bound basis and report to the Parliament at the earliest possible.

Explanation 2. For removal of any uncertainty it is hereby declared that Government shall implement the land reforms in the country with a time bound programme and report to the Parliament accordingly."

The question was proposed.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Madam, I will say just one sentence. This is the only occasion when we have our friend, Upendraji, in this House. We have totally lost him to the other House or wilder-ness. I would like to go On record that such occasions, should come frequently so that we are able to get him back.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is this your amendment?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Madam, he belongs to this House. Only one point I would like to make.

SHRI P. UPENDRA: That is my inlaws' house.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: The objective behind bringing this amendment was very simple. As a Member of Parliament over the years I have found from other experiences that the Executive has a tendency to take Parliament for a ride. Acts are passed and Constitution is amended, but the intentions behind that are not carried through for years and years together..,By this amendment I am taking this opportunity to go on record that

sixth Amendment) Bill 1990

[Prof. Chandresh P. Thakur] this Parliament from now onwards will chase the Executive much more vigorously and demand much pointed accountability on the pace of progress of the intentions behind these legislations. As a Parliamentarian I would like to assert that our right to ask for compliance should be vigorously pursued and we should put on record, that we demanded and we got accountability from the Exesutive. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Are you pressing your amendment?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Let the Parliamentary Affairs Minister assure me accountability.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put clause 2 to vote. The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Ayes 177
Noes Nil

AYES—177

Afzal, Shri Mohammad Agarwal, Shri Lakkhiram Agarwal, Shri Ramdas Ahluwalia, Shri S. S. Alia, Kumari Alva, Shrimati Margaret Amin, Shri Mohammed Amla, Shri Tirath Ram Ansari, Shri Mohammed Amin Ashwani Kumar, Shri Azam, Shri Ghufran Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A. Bagrodia, Shri Santosh

Bakht, Shri Sikander

Balanandan, Shri E.

Balaram, Shri N. E.

Barongpa, Shri Sushil

Basumatary, Shri Amritlal

Basu Ray, Shri Sunil

Bekal Utsahi, Shri

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj

Bhatia, Shri Madan

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker

Bhattacharjee, Prof. Sourendra

Biswas, Shri Debabrata

Buragohain, Shri Bhadreswar

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chanpuria, Shri Shivprasad

Chaudhary, Harmohan Singh

Chaudhuri, Shri Tridib

Chavan, Shri S. B.

Chowdhary Ram Sevak

Chowdhry Hari Singh

Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dave, Shri Anantray Devshanker

Deepak, Shri Krishan Kumar

Desai, Shri Jagesh

Dhawan, Shri R. K.

Faguni Ram, Dr.

Fernandes, Shri John

F. Fotedar, Shri Makhan Lal

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R. aias Misa R.

Ganesan

Goutam, Shri Anand Prakash

Ghosh, Shri Dipen

Gopalsamy, Shri V.

Goswami, Shri Diriesh

sixth Amendment) Bill 1990

Goswami, Shri Ramnarayan Garupadaswamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh Hanumanthappa, Shri H. Hariprasad, Shri B. K. Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M. Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao Jain, Dr. Jinendra Kumar Jaiswal, Shri Anant Ram-Jani, Shri Jagadish Javali, Shri J. P. Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpali, Shrimati ' Kakodar, Shri Parushottam Kalita, Shri Bhubaneswar Kalmadi, Shri Suresh Kalvala, Shri Prabhakar Rao Kar, Shri Narayan Kenia, Kumari Chandrika Premji Khan, Dr. Abrar Ahmed. Khaparde, Miss Saroj Khatun, Kumari Sayeeda Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. Kore, Shri Prabhakar B.

Lather, Shri Mohinder Singh Ledger, Shri David Lenka, Shri Kahnu Charan Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S. Madni, Shri Maulana Asad Maheshwari, Shrimati Sarala Maheswarappa, Shri K. G. Malaviya, Shri Radhakishan Malviya, Shri Satya Prakash Maran, Shri Murasoli Msoodkar, Shri Bhaskar Annaji Mathur, Shri Jagdish Prasad Md. Salim, Shri Meena, S

Mehta, Shri Chimanbhai Mishra, Shri Shiv Pratap Mohammad Yunus, Shri Mohanty, Shri Sarada Mohapatra, Shri Basudeb Morarka, Shri Karnal Mukherkee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy Naik, Shri R. S. Nallasivan, Shri A. Narayanasamy, Shri V. Pachauri, Shri Suresh Padmanabham, Shri Mentay Palaniyandi, Shri M. Pandey, Shrimati Manorama Pandey, Dr. Ratnakar Panwar, Shri B. L. Parmar, Shri Rajubhai A. Patel, Shri Chhotubhai Patel, Shri Vithalbhai M. Patil, Shrimati Survakanta Patil, Shri Vishwasrao Ramrao Puglia, Shri Naresh C.

Rafique Alam, Shri Rahman, Shri Mohd. Khaleelur Rai, Shri Ratna Bahadur Raja Ramanna, Dr. Raju, Shri J. S. Rao, Shri Moturu Hanumantha Rathwa, Shri Ramsinh Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan Reddy, Dr. Narreddy Thulasi Reddy, Shri T. Chandrasekhar

Sahu, Shri Rajni Ranjan Sahu, Shri Santosh Kumar Saikia, Dr. Nagen Salve, Shri N. K. P. Samantaray, Shri Pravat Kumar Sanadi, Prof. I. G. Saqhy, Shsi T. A. Mohammed Sarang, Shri Kailash Narain

Sahay, Shri Dayanand

Satya Bahin, Shrimati

Sen, Shri Ashis Sen, Shri

Sukomal Shah, Shri Viren J.

Sharma, Shri Chandan

Sharma, Shri Kriihan Lal

Sharma, Shri Satish Kumar

Shiv Shanker, Shri P.

Siddiqui, Shri Abdul

Samad Singh, Shri Digvijay

Singh, Shri K. N.

Singh, Shrimati Pratibha

Singh, Dr. Rudra Pratap

Singh. Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender

Singh, Shri Vishvjit P.

Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G.

Solanki, Shri Madhavsinh

Som Pal, Shri

Sreedharan. Shri Arangil

Sushma Swaraj, Shrimati

Swell, Shri G. G.

Talari Manohar, Shri

Thakur, Prof. Chandresh P.

Thakur, Shri Rameshwar

Thakar, Shri Surendra Singh

Tharadevi, Shrimati D. K.

Tiria, Kumari Sushila

Topden, Shri Karma

Trivedi, Shri Dmeshbhai

Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvatbaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari

Veerapan, Shri K. K.

Venkatraman, Shri Tindiyanam G.

Verma, Shri Ashok Nath

Verma, Shri Kapil

Verma, Shrimati Veena

Verma, Shri Virendra

Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri M Dutt

Yadav, Shri Ram Naresh Yadav, Shri Ranjan Prasad Yadava, Shri Bal Ram Singh Yonggam, Shri Nyodek

The motion was majority of the total the House and by a less than two-thirds present and voting.

carried by a membership of majority of not of Members

Clause 2 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes 174 Noes Nil

AYES—174

Afzal, Shri Mobr.mmad

Agarwal, Shri Lakkhiram

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S. S.

Alia, Kumari

Alva, Shrimati Margaret

Amin, Shri Mohammed

Amla, Shri Tirath Ram

Ansari, Shri Mohammed Amin

Ashwani Kumar, Shri

Azam, Shri Ghufran

Azmi, Maulana Obaidullah Khau

Baby, Shri M. A.

Bagrodia, Shri Santosh

Bakht, Shri Sikander

Balanandan, Shri E.

Balaram, Shri N. E.

Barongpa, Shri Sushil

Basumatary,Shri Amritlal

Basu Ray, Shri Sunil Bekal Utsahi, Shri

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj Bhatia, Shri Madan

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker

Bhattacharee, Prof. Sourendra

Birla, Shri Krishna Kumar

Biswas, Shri Debabrata

Buragohain, Shri

Bhadreswar Chankravarty, Sh imati

Bijoya Chaadhary, Harmohan Singh

Chaudhuri, Shri Tridib

Chavan, Shri S. B.

Chowdhary Ram Sewak

Caowdhry Hari Singh

Caowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dava, Shri Anantray

Devshanker Desai, Shri Jagesh

Dhawan, Shri R. K.

Faguni Ram, Dr.

Fernandes, Shri John F.

Fotedar, Shri Makhan Lal

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R. alias Misa R.

Ganesan Gautam, Shri Anand Prakash

Ghosh, Shri Dipen Gopalsamy, Shri V.

Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan

Gurupadaswamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh

Hanumanthappa, Shri H.

Hariprasad, Shri B. K.

Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M.

Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao

Jain, Dr. Jinendra Kumar

Jaiswal, Shri Anant Ram

Jani, Shri Jagadish

Javali, Shri J. P.

Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpati, Shrimati

Kakodkar, Shri Purushottam

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kalmadi, Shri Suresh

Kalvala, Shri Prabhakar Rao

Kar, Shri Narayan Kenia,

Kumari Chandrika Premji

Khan, Dr. Akbar Ahmed

Kilali, Di. Akual Allille

Khaparde, Miss Saroj

Khatun, Kumari Sayeeda

Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.

Kore, Shri Prabhakar B.

Lather, Shri Mohirider Singh

Ledger, Shri David

Lenka, Shri Kahnu Charan

Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S.

Madni, Shri Maulana Asad

Maheshwari, Shrimati Sarala

Maheswarappa, Shri K. G

Malaviya, Shri Radhakishan

Malaviya, Shri Satya Prakash

Maran, Shri Murasoli

Masodkar, Shri Bhaskar Annaji

Mathur, Shri Jagdish Prasad

Md. Salim, Shri

Meena, Shri Dhuleshwar

Mehta, Shri Chimanbhai

Mishra, Shri Shiv Pratap

Mohammad Yunus, Shri

Mohanty, Shri Sarada

Mohapatra, Shri Basudeb

Morarka, Shri Karnal

Mukherjee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy

Maila Chail D. C.

Naik, Shri R. S.

Nallasivan, Shri A.

Narayanasamy, Shri V.

Padmanabham, Shri Mentay

Palaniyandi, Shri M.

Pandey, Shrimati Manorama

Pandey, Dr. Ratnakar

Panwar, Shri B. L.

Bill 1990

Parmar, Shri Rajubhai A. Patel, Shri Chhotubhai

Patel, Shri Vithalbhai M.

Patil, Shrimati Suryakanta

Patil, Shri Vishwasrao Ramrao

Puglia, Shri Naresh C.

Rafique Alam, Shri

Rahman, Shri Mohd. Khaleelur

Rai, Shri Ratna Bahadur

Raja Ramanna, Dr.

Raju, Shri J. S.

Rao, Shri Moturu Hanumantha

Rathwa, Shri Ramsinh

Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan

Reddy, Dr. Narreddy Thulasi

Reddy, Shri T. Chandrasekhar

Sahay, Shri Dayanand

Sahu, Shri Rajni Ranjan

Sahu, Shri Santosh Kumar

Saikia, Dr. Nagen

Salve, Shri N. K. P.

Samantaray, Shri Pravat Kumar

Sanadi, Prof. I. G.

Saqhy, Shri T. A. Mohammed

Sarang, Shri Kailash Narain

Satya Bahin, Shrimati

Sen, Shri Ashis

Sen, Shri Sukomal

Shah, Shri Viren J.

Sharma, Shri Chandan

Sharma, Shri Krishan Lal

Sharma, Shri Satish Kumar

Shiv Shanker, Shri P.

Siddiqui, Shri Abdul Samad

Singh, Shri Digvijay

Singh, Shri K. N.

Singh, Shrimati Pratibha

Singh, Dr. Rudra Pratap

Singh, Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender

Singh, Shri Vishvjit P.

Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G.

Solanki, Shri Madhavsinh

Som Pal, Shri

Sreedharan, Shri Arangil

Sushma Swaraj, Shrimati

Swell, Shri G. G.

Talari Manohar, Shri

Thakur. Prof. Chandresh P.

Thakur, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Surendra Singh

Tharadevi, Shrimati D. K.

Tiria, Kumari Sushila

Topden, Shri Karma

Trivedi, Shri Dineshbhai

Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari

Veerappan, Shri K. K.

Venkatraman, Shri Tindivanam G.

Verma, Shri Ashok Nath

Verma, Shri Kapil

Verma, Shrimati Veena

Verma, Shri Virendra

Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri lsh Dutt

Yadav, Shri Ram Naresh

Yadav, Shri Ranjan Prasad

Yonggam Shri Nyodek .

NOES—NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री उ**पेद्ध नःष वर्मा**ः मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

श्री सत्य प्रकाश मालकीयः मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN:

The question is:

"That the Bill be passed."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

AYES-'177

Afzal, Shri Mohammad Agarwal, Shri Lakkhiram Agarwal, Shri Ramdas Ahluwalia, Shri S. S.

Alia, Kumari Alva, Shrimati Margaret

Amin, Shri Mohammed Amla, Shri Tirath Ram Anspri, Shri Mohammed Amin Ashwani Kumar, Shri Azam, Shri Ghufran

Azaili, Silii Ollullali

Azmi, Maulana Obaidullahs Khan

Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsshi, Shri

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj Bhatia, Shri Madan

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker Bhattacharjee, Prof. Sourendra. Biswas, Shri'Debabrata

Buragohain, Shri Bhadreswar

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chanpuria, Shri Shivprasad

Chaudhary, Harmohan Singh

Chaudhuri, Shri Tridib

Chavan, Shri S. B.

Chowdhary Ram Sewak

Chowdhry Hari Singh

Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dave, Shri Anantray

Devshanker Deepak, Shri Krishan Kumar

Desai, Shri Jagesh

Dhawan, Shri R. K.

Faguni Ram Dr.

Fernandes, Shri John F.

Fotedar, Shri Makhan Lal

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R. alias Misa R.-Ganesan

Gautam, Shri Anand Prakash

Ghosh, Shri Dipen

Gopalsamy, Shri V.

Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan

Gurupadaswamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh

Hanumanthappa, Shri H.

Haripraspd, Shri B. K.

Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M.

Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao-

Jaia, Dr. Jinendra Kumar

Jaiswal, Shri Anant Ram

Jani, Shri Jagadish

Javali, Shri J. P.

Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpati, Shrimati

Kakodar, Shri Purushottam

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kalmadi, Shri Suresh

Kalvala, Shri Prahhakar Rao

Kar, Shri Narayan

Bill 1990

Kenia, Kumari Chandrika Premji

Khan, Dr. Akhbar Ahmed

Khaparde, Miss Saroj

Khatun, Kumari Sayeeda

Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.

Kore, Shri Prabhakar B.

Lather, Shri Mohindar Singh

Ledger, Shri David

Lenka., Shri Kahnu Charan

Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S.

Madni, Shri Maulana Asad

Maheshwari, Shrimati Sarala

Maheswarappa, Shri K. G

Malaviya, Shri Radhakishan

Malaviya, Shri Satya Prakash

Maran, Shri Murasoli

Masodkar, Shri Bhaskar Annaji

Mathur, Shri Jagdish Prasad

Md. Silim, Shri Meena, Shri Dhuleshwar

Mehta, Shri Chimanbhai

Mishra, Shri Shiv Pratap

Mohammad Yunus, Shri

Mohanty, Shri Sarada

Mohapatra, Shri Basudeb

Morarka, Shri Karnal

Mukherjee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy

Naik, Shri R. S.

Nallasivan Shri A.

Pachouri, Shri Suresh

Padmanabham, Shri Mentay

Palaniyndi, Shri M.

Pandey, Shrimati Manorama

Pandey, Dr. Ratnakar

Panwar, Shri B. L.

Parmar, Shri Rajubhai A.,

Patel, Shri Chhotubhai

Patel, Shri Vithalbhai M.

Patil, Shrimati Suryakanta

Patil, Shri Vishwasrao Ramrao

Puglia, Shri Naresh C.

Rafique Alam, Shri

Rahman, Shri Mohd. Khaleelur

Rai, Shri Ratna Bahadur Raja

Ramanna, Dr. Raju, Shri J. S.

Rao, Shri Moturu Hanumantha

Rathwa, Shri Ramsinh

Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan

Reddy, Dr. Narreddy Thulasi

Reddy, Shri T. Chandrasekhar

Sahay, Shri Dayanand

Sahu, Shri Rajni Ranjan

Sahu, Shri Santosh Kumar

Saikia, Dr. Nagen

Salve, Shri N. K. P.

Samantaray, Shri Pravat Kumar

Sanadi, Prof. I. G.

Saqhy, Shri T. A. Mohammed

Sarang, Shri Kailash Narain

Satya Bahin, Shrimati

Sen, Shri Ashis

Sen, Shri Sukomal

Shah, Shri Viren J.

Sharma, Shri Chandan

Sharma, Shri Krishsn Lal

Sharma, Shri Satish Kumar

Shiv Shankar, Shri P.

Siddiqui, Shri Abdul

Samad Singh, Shri Digvijay

Singh, Shri K. N.

Singh, Shrimati Pratibha

Singh, Dr. Rudra Pratap

Singh, Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surendcr

Singh, Shri Vishvjit P.

Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G.

Solanki, Shri Madhavsinh

Som Pal, Shri

Srredharan, Shri Arangil

Sushma Swaraj, Shrimati

Swell, Shri G. G.

Talari Manohar, Shri

Thakur, Prof. Chandresh P.

Thakur, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Surendra Singh

Tharadevi, Shrimati D. K.

Tiria, Kumari Si:shila

125

Topden, Shri Karma '

Trivedi, Shri Dineshbhai

Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee,Shri Atel Bihari

Veerappan, Shri K. K.

Venkatraman, Shri Tindivanam G.

Verma, Shri Ashok Nath

Verma, Shri Kapil

Verma, Shrimati Veena

Varma, Shri Virendra '

Vidnthalal Virumbi, Shri S.

"Yadav, Shri Ish Dutt

Yadav, Shri Ram Naresh

Yadav, Shri Ranjan Prasad

Yonggam, Shri Nyodek

NOES-NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two small Bills. We are passing them without discussion.

SOME HON. MEMBERS; Yes.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BELL, 1990

THE MINISTER OF INFORMATION
AND BROADCASTING AND
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P.
UPENDRA): Madam Deputy Chairman, I
move:

"that the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration"

The question was put and the motion was adopted.

SHRI V. NARAYANASAMY

(Pondicherry): Madam, what about the increase of salaries for MPs and pension for ex-MPs?

SHRI P. UPENDRA: I have already initiated ,action. The file has gone to the Ministry of Finance. In the next session, I will bring a Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill